दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सि.वा.(वाणि.) 602/2018
CS(COMM) 602/2018
आईएमएस लर्निंग रिसोर्सेज़ प्राइवेट लिमिटेड ...वादी

द्वारा: श्री वैभव वत्स, सुश्री आमना हसन, सुश्री अनुप्रिया श्याम, सुश्री आर्या देशमुख अधिवक्तागण (मो.नं. 9971576500)

बनाम

यंग अचीवर्स .....प्रतिवादी

द्वारा: सुश्री निधि अखौरी, अधिवक्ता (मो.नं. 8882620960)

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मिनी पुष्कर्णा

निर्णय
20.01.2025

न्या. सुश्री मिनी पुष्कर्णा

परिचयः

1. वर्तमान वाद स्थायी व्यादेश के लिए दायर किया गया है, जिसमें प्रतिवादी को “IMS” शब्द या कोई अन्य चिन्ह, नाम, लोगो, मोनोग्राम या लेबल, जो वादी के ट्रेडमार्क “IMS” के समान या भ्रामक रूप से मिलता-जुलता हो, के उपयोग से रोकने की मांग की गई है।

2. वर्तमान वाद वर्ष 2011 में संख्या सि.वा.(मू.प.) 2316/2011 के तहत दायर किया गया था, और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2018 को पारित आदेश के माध्यम से इसे वाणिज्यिक वाद संख्या सि.वा. (वाणि.) 602/2018 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया।

3. वादी और प्रतिवादी ने वर्ष 2007 और 2010 में करार किए, जिनके तहत प्रतिवादी को उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित एक केंद्र के लिए “IMS” ट्रेडमार्क और स्वामित्व वाली सामग्री का उपयोग करने की अनुमति दी गई। आपसी सहमति से, 1 फरवरी, 2011 को केंद्र बंद कर दिया गया, और प्रतिवादी ने एक 'एग्जिट पेपर' (करार) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उसने उस तारीख से आगे "IMS" ट्रेडमार्क का किसी भी प्रकार से उपयोग बंद करने की सहमति दी।

4. वादी इस बात से व्यथित है कि प्रतिवादी ने उक्त एग्ज़िट पेपर के बावजूद “IMS” ट्रेडमार्क का उपयोग किया है, जिसे वादी अपनी बौद्धिक संपदा होने का दावा करता है, और प्रतिवादी ने उक्त चिन्ह में वादी के अधिकारों का अवैध उल्लंघन किया है।

<u>मामले के तथ्य</u>

5. वादी द्वारा प्रस्तुत तथ्य निम्नानुसार है:

5.1 वादी, यानी आई.एम.एस. लर्निंग रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (IMS Learning Resources Pvt. Ltd.), जो कि लोकप्रिय रूप से 'IMS' के नाम से जाना जाता है, की स्थापना वर्ष 1977 में दिवंगत प्रोफेसर नागेश रघुनाथ राणे और उनकी पत्नी श्रीमती लीला राणे द्वारा की गई थी। 20 सितंबर, 1999 को, वादी कंपनी को श्रीमती लीना एन. राणे के साथ इसके प्रवर्तक और निदेशक के रूप में निगमित किया गया था। इसके पश्चात, श्रीमती राणे द्वारा 1 नवंबर, 1999 के करार के माध्यम से IMS का संपूर्ण व्यवसाय, उसकी साख और ट्रेडमार्क "IMS" के साथ वादी कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया था।

5.2 वादी का ट्रेडमार्क “IMS”, जो “इन्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज” से लिया गया है, वर्ष 1977 से शैक्षिक पाठ्यक्रमों, सामग्रियों और उत्पादों के संबंध में उपयोग में है और यह प्रबंधन प्रवेश परीक्षाओं, विशेष रूप से कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) और अन्य MBA-संबंधित परीक्षाओं जैसे MH-CET और SNAP के लिए कोचिंग प्रदान करने वाला एक अग्रणी संस्थान है।

5.3 वादी के कॉपीराइट वाले कोर्सवेयर (पाठ्यक्रम सामग्री), अध्ययन सामग्री और टेस्ट सीरीज़ उसके व्यावसायिक संचालन के अभिन्न अंग हैं, जो भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित संस्थानों में सालाना 40,000 से अधिक छात्रों की

सफलता में योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त, वादी पूरे भारत में 100 से अधिक केंद्रों के माध्यम से अपना संचालन करता है, जिनमें 40 सीधे उसके स्वामित्व वाले केंद्र शामिल हैं, जबकि अन्य केंद्र व्यावसायिक भागीदारों और फ्रेंचाइज़ियों द्वारा आपसी सहमति की शर्तों के तहत चलाए जाते हैं।

5.4 वादी के पास "IMS" और उसके विभिन्न रूपों के लिए कई वर्गों–जिनमें वर्ग 9, 16, 35 और 41 शामिल हैं–में ट्रेडमार्क पंजीकरण हैं।

5.5 वैधानिक अधिकारों के अतिरिक्त, वादी ने 'IMS' चिन्ह पर सामान्य कानून अधिकार भी साबित किए हैं, क्योंकि इसकी साख अनन्य रूप से वादी के व्यवसाय से जुड़ी हुई है। तृतीय पक्षकार द्वारा कोई भी अनधिकृत उपयोग इस साख और प्रतिष्ठा को खतरे में डालता है।

5.6 वादी और प्रतिवादी ने 1 अप्रैल, 2007 को एक सेवा प्रदाता करार पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद 1 अप्रैल, 2010 को एक व्यावसायिक भागीदारी करार किया गया। इन करार के तहत, वादी ने प्रतिवादी को मेरठ, उत्तर प्रदेश में एक केंद्र संचालित करने के लिए अपने ट्रेडमार्क "IMS" का उपयोग करने की अनुमति दी और मालिकाना प्रशिक्षण प्रारूप, सामग्री और तकनीकी ज्ञान प्रदान किया। हालाँकि, आपसी सहमति से, IMS मेरठ केंद्र को 1 फरवरी, 2011 से प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया था। उसी तारीख को, प्रतिवादी ने एक 'एग्जिट पेपर' पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वह भविष्य में किसी भी तरह से "IMS" ट्रेडमार्क का उपयोग बंद करने पर सहमत हुआ।

5.7 वादी ने 18 मार्च, 2011 को प्रतिवादी को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि 1 फरवरी, 2011 के एग्जिट पेपर के तहत दायित्वों को पूरा नहीं किया गया है। इसके बाद 12 अप्रैल, 2011 को एक कानूनी नोटिस भेजा गया, जिसमें एग्जिट पेपर के अनुपालन की मांग की गई थी। हालाँकि, प्रतिवादी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया।

5.8 इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी ने 30 मार्च, 2011 को 'हिंदुस्तान-चक दे' में एक पूर्ण-पृष्ठ विज्ञापन प्रकाशित किया, जिसमें प्रतिवादी की अगुआई में “IMS” के लिए एक नई छवि का दावा किया गया और “पुराना IMS अब और भी जीवंत (vibrant) है” तथा “IMS यंग अचीवर्स लर्निंग सेंटर” जैसे वाक्यांशों का उपयोग किया गया। इस विज्ञापन में वादी के IMS लोगो के एक संशोधित संस्करण को भी प्रदर्शित किया गया था।

5.9 इससे व्यथित होकर, वादी ने 20 अप्रैल, 2011 को एक और कानूनी नोटिस जारी किया, जिसमें प्रतिवादी से IMS की सामग्रियों को हटाने और हिंदुस्तान टाइम्स में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई। इसके अलावा, वादी ने 21 अप्रैल, 2011 को एवरॉन एजुकेशन लिमिटेड और इनेबिलोन लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड (टेस्ट फंडा) को एक ईमेल भेजा, जिसमें बताया गया कि प्रतिवादी उनके साथ संबंध प्रदर्शित कर रहा है। इसके जवाब में, इनेबिलोन के महाप्रबंधक ने 24 अप्रैल, 2011 के ईमेल के माध्यम से पुष्टि की कि प्रतिवादी की गतिविधियाँ उनकी सहमति के बिना थीं।

5.10 इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, प्रतिवादी ने 27 अप्रैल, 2011 के ईमेल के माध्यम से वादी के सौ व्यावसायिक भागीदारों को सूचित किया कि उसने एग्जिट पेपर पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब वह वादी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, और अब "IMS यंग अचीवर्स" के नाम से काम कर रहा है।

5.11 प्रतिवादी ने IMS ट्रेडमार्क पर वादी के स्वामित्व को स्वीकार किया, लेकिन दावा किया कि उसने IMS लोगो को हटाकर, नया पाठ्यक्रम शुरू करके और फीस कम करके रीब्रांडिंग (छवि परिवर्तन) कर ली है। उसने कम फीस पर 150 छात्रों का नामांकन करना स्वीकार किया, जिससे उसे ₹22,50,000/- का लाभ हुआ और वादी को ₹31,50,000/- की क्षति हुई।

5.12 प्रतिवादी ने अपने नए ब्रांड "IMS यंग अचीवर्स" में शामिल होने के लिए वादी के भागीदारों को आमंत्रित करके और **85:15** के लाभ साझाकरण अनुपात (प्रॉफिट शेयरिंग रेश्यो) की पेशकश करके वादी के व्यवसाय को बाधित करने का प्रयास किया।

5.13 अतः वर्तमान वाद दायर किया गया है।

<u>वादी की ओर से प्रस्तुतियाँ:</u>

6. वादी की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी गई हैं:

6.1 प्रतिवादी का "IMS" चिन्ह पर कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है और उसने 1993 से ही वादी के ट्रेडमार्क के बारे में अपनी जानकारी स्वीकार की है।

प्रतिवादी ने वर्ष 1998 से 2007 तक “यंग अचीवर्स” (Young Achievers) नाम के तहत बिना किसी ट्रेडमार्क के उपयोग के कार्य किया। वादी के साथ लाइसेंस करार में प्रवेश करने के बाद ही उसने “IMS यंग अचीवर्स” नाम का उपयोग करना शुरू किया। प्रतिवादी की साख पूरी तरह से वादी के ट्रेडमार्क की शक्ति और प्रतिष्ठा पर निर्मित हुई थी।

6.2 प्रतिवादी ने 01 फरवरी, 2011 के 'एग्जिट पेपर' पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है, जिसमें वह "IMS" चिन्ह का उपयोग बंद करने पर सहमत हुआ था, जैसा कि 16 अप्रैल, 2012, 10 जुलाई, 2012 और 22 अगस्त, 2013 के न्यायालय आदेशों में दर्ज है। इसके बावजूद, प्रतिवादी ने वादी की साख का लाभ उठाने के लिए "IMS" का उपयोग जारी रखा, और यह दावा किया कि छात्रों और अभिभावकों के बीच अपनी छवि बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। लाइसेंस की समाप्ति के बाद प्रतिवादी द्वारा "IMS यंग अचीवर्स" का निरंतर उपयोग करना, स्पष्ट रूप से जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए गुमराह करने का प्रयास है कि वादी के साथ उसका संबंध अब भी जारी है।

6.3 प्रतिवादी के कृत्य स्पष्ट रूप से ट्रेडमार्क उल्लंघन और 'किसी दूसरे का रूप देना' (दूसरे के ब्रांड का अनुचित लाभ उठाना) को दर्शाते हैं, जिससे वादी के ब्रांड की प्रतिष्ठा में गिरावट आई है और वादी के व्यवसाय में अनुचित हस्तक्षेप

हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप वादी को भारी वित्तीय और प्रतिष्ठित हानि हुई है।

6.4 प्रतिवादी का दुर्भावनापूर्ण और बेईमानी भरा इरादा इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने 'टेस्ट फंडा' (TEST FUNDA) और 'एवरॉन' (EVERONN) जैसे तीसरे पक्षकारगण के ट्रेडमार्क का भी दुरुपयोग किया है। प्रतिवादी द्वारा "IMS" ट्रेडमार्क का उपयोग, वादी की प्रतिष्ठा और साख (goodwill) का अनुचित लाभ उठाने के दुर्भावनापूर्ण और बेईमानी भरे इरादे से ओत-प्रोत है।

6.5 प्रतिवादी किसी भी परिस्थिति में वादी के "IMS" चिन्ह पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है और प्रतिवादी का आचरण व्यावसायिक बेईमानी का प्रमाण देता है।

6.6 प्रतिवादी द्वारा "IMS" चिन्ह का उल्लंघनकारी उपयोग वादी को पहले से ही अपूरणीय क्षति पहुँचा रहा है और भविष्य में भी ऐसी क्षति होने की पूरी संभावना है। वादी को अपनी प्रतिष्ठा और साख (goodwill) को होने वाले भारी नुकसान और क्षति का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी इसकी संभावना बनी हुई है।

<u>प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियाँ:</u>

7. **प्रतिवादी की ओर से निम्नलिखित दलीलें दी गई हैं:**

7.1 प्रतिवादी ने मेरठ के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान (National Player) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2007 में वादी के साथ एक संविदात्मक व्यवस्था की थी। वादी के साथ उक्त करार से काफी समय पहले ही, प्रतिवादी मेरठ शहर में अत्यंत लोकप्रिय था।

7.2 जब प्रतिवादी ने राजस्व साझाकरण में कटौती की शर्तों पर अपनी असहमति व्यक्त की, तो वादी ने 01 अप्रैल, 2010 के करार को 01 फरवरी, 2011 को एकपक्षीय रूप से समाप्त कर दिया, जबकि यह करार 31 मार्च, 2013 को समाप्त होना था; इससे नामांकित छात्रों का भविष्य अंधकार में पड़ गया। प्रतिवादी ने छात्रों के प्रति अपनी पेशेवर प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सत्र को पूरा किया।

7.3 वादी का "IMS" शब्द या "इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज" (Institute of Management Studies) वाक्यांश पर कोई विशेष अधिकार नहीं है, क्योंकि उक्त शब्दों का उपयोग शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आमतौर पर किया जाता है, और इसलिए, ये वादी के उत्पादों/सेवाओं को किसी अन्य से अलग करने में अक्षम हैं। वादी के ट्रेडमार्क पंजीकरण विशिष्ट डिजाइनों वाले 'मिश्रित चिन्हों' (composite marks) से संबंधित हैं, इसलिए, विशेष रूप से व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 17 के आलोक में, वादी का 'IMS' चिन्ह या 'इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज' पर कोई विशेष अधिकार नहीं है।

7.4 01 फरवरी, 2011 के 'एग्जिट पेपर' (निकास पत्र) पर हस्ताक्षर करने के बाद, प्रतिवादी ने एक विशिष्ट 'डिवाइस मार्क' (distinct device mark), "IMS Young Achievers" अपनाया, जिसमें रंग, अंक और नारों जैसे अद्वितीय तत्व शामिल हैं, जो इसे वादी के ट्रेडमार्क से पर्याप्त रूप से अलग करते हैं। इसलिए, प्रतिवादी का आक्षेपित चिन्ह (impugned mark) न तो समान है और न ही मिलता-जुलता है।

7.5 'IMS' चिन्ह एक संक्षिप्त नाम है, जो वर्णनात्मक शब्दों 'इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज' (Institute of Management Studies) से लिया गया है, जिसका उपयोग आमतौर पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किया जाता है। इसलिए, वादी द्वारा इस पर एकाधिकार नहीं जताया जा सकता। उक्त चिन्ह का व्यापक रूप से विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा उपयोग किया जाता है, जिनमें 'IMS गाजियाबाद', 'IMS नोएडा' और 'IMS देहरादून' शामिल हैं, जैसा कि प्रदर्श DW7 (Exhibit DW7) से प्रमाणित है। वादी अपने पक्ष में इस संक्षिप्त नाम का कोई 'द्वितीयक अर्थ' या अपनी सेवाओं के साथ इसका अनन्य संबंध साबित करने में विफल रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी का लोगो, "IMS Young Achievers", विशिष्ट है और भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करता है, क्योंकि लक्षित उपभोक्ता, यानी छात्र, शिक्षित हैं और पक्षकारगण के बीच अंतर करने में सक्षम हैं।

7.6 01 अप्रैल, 2010 के व्यावसायिक साझेदारी करार/फ्रैंचाइज़ी करार से पहले, वादी की मेरठ में कोई पूर्व उपस्थिति या साख नहीं थी, और उसने प्रतिवादी द्वारा आक्षेपित चिह्न के उपयोग से हुई किसी भी क्षति का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी ने वर्षों के स्वतंत्र प्रयासों के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा बनाई है, और वास्तव में, करार की अवधि के दौरान वादी को मेरठ के कार्यों से आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, 'एग्जिट पेपर' के माध्यम से करार को समाप्त किए जाने के कारण, प्रतिवादी पर वादी के सहयोग के बिना छात्रों को सेवाएँ प्रदान करना जारी रखने का एक अनुचित बोझ आ पड़ा।

7.7 'किसी दूसरे का रूप देना' (दूसरे के ब्रांड का अनुचित लाभ उठाना) के वादी के दावे निराधार हैं, क्योंकि प्रतिवादी की सेवाएँ मेरठ तक सीमित थीं, जहाँ वादी की कोई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा या उपस्थिति नहीं थी।

7.8 कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे शब्द, संक्षिप्त नाम या संक्षिप्त अक्षर के उपयोग के अनन्य अधिकार का दावा नहीं कर सकता, जो 'पब्लिक जूरिस' (publici juris - सार्वजनिक अधिकार में) बन चुका है और जिसका उपयोग वर्णनात्मक रूप से किया जाता है। वादी का 'IMS' चिन्ह अपने आप में एक सामान्य संक्षिप्त नाम है और वादी के पास 'IMS' शब्द चिन्ह (word mark) का कोई पंजीकरण या ऐसे किसी शब्द चिन्ह का उपयोग नहीं है।

7.9 'मिश्रित चिन्हों' की तुलना पूर्ण रूप से की जानी चाहिए, जब तक कि उनके व्यक्तिगत हिस्सों का अलग से पंजीकरण न कराया गया हो। प्रतिवादी का चिन्ह अपनी स्वयं की स्वतंत्र पहचान के स्रोत को इंगित करने में सक्षम है। इसलिए, प्रतिवादी के ट्रेडमार्क के उपयोग से किसी भी प्रकार के भ्रम की संभावना या वास्तविक भ्रम का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रतिवादी के उपभोक्ता अच्छी तरह से शिक्षित और योग्य हैं, जो प्रतिवादी के ट्रेडमार्क के तहत प्रबंधन के छात्रों को दिए जाने वाले विशेष पाठ्यक्रमों के स्रोत की उत्पत्ति को समझने में सक्षम हैं।

7.10 'कोचिंग क्लास' की सेवाएँ प्रकृति में स्थानीय होती हैं। वादी यह साबित करने में विफल रहा है कि उसने उस क्षेत्र (मेरठ) में अत्यधिक प्रतिष्ठा/साख अर्जित की थी जहाँ प्रतिवादी मौजूद है, क्योंकि मेरठ में वादी का कोई अस्तित्व ही नहीं है।

7.11 इस तथ्य को देखते हुए कि वादी 'उल्लंघन' और 'किसी दूसरे का रूप देना' के लिए निर्धारित किसी भी परीक्षण में सफल होने में विफल रहा है, वादी का वाद (suit) खारिज होने योग्य है।

8. मैंने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

<u>न्यायालय के समक्ष कार्यवाहीः</u>

9. इस न्यायालय ने दिनांक 19 सितंबर, 2011 के आदेश द्वारा वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय अंतरिम आदेश (ex-parte ad interim order) पारित किया था, जिसमें प्रतिवादी को वादी के "IMS" चिन्ह का उपयोग करने से रोक दिया गया था। इसके अतिरिक्त, दिनांक 23 मई, 2012 के आदेश के माध्यम से उक्त आदेश को प्रभावी/अंतिम (absolute) कर दिया गया था।

10. इस न्यायालय ने दिनांक 19 सितंबर, 2011 के आदेश के माध्यम से एक 'स्थानीय आयुक्त' भी नियुक्त किया था, ताकि वह प्रतिवादी के परिसर में उल्लंघनकारी कृत्यों का निरीक्षण कर सके और उनके साक्ष्य एकत्र कर सके। हालाँकि, प्रतिवादी ने स्थानीय आयुक्त को परिसर का निरीक्षण करने, इन्वेंट्री (सामान की सूची) बनाने या चित्र लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। प्रतिवादी ने स्थानीय आयुक्त द्वारा निरीक्षण के लिए लेखा-पुस्तकों को प्रस्तुत करने से भी इनकार कर दिया।

11. प्रतिवादी ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत एक आवेदन, अं.आ. संख्या 818/2012 दायर किया था। हालाँकि, उक्त आवेदन को 16 अप्रैल, 2012 के आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि पक्षकारगण के बीच 01 फरवरी, 2011 का 'एग्जिट पेपर' (करार), उनके बीच हुए किसी भी पिछले अनुबंध से ऊपर (superseded) माना गया और मध्यस्थता खंड पिछले अनुबंधों का हिस्सा था।

12. दिनांक 16 अप्रैल, 2012 के उक्त आदेश को प्रतिवादी द्वारा चुनौती दी गई थी। आ.प्र.अ.(मू.प.) 290/2012 में पारित दिनांक 10 जुलाई, 2012 के निर्णय के द्वारा, इस न्यायालय की खंडपीठ ने प्रतिवादी की अपील को खारिज कर दिया। खंडपीठ के उक्त निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 6997/2013 में दिनांक 22 अगस्त, 2013 के अपने निर्णय के माध्यम से बरकरार रखा।

13. यह न्यायालय यह नोट करता है कि व्यादेश आदेश के बावजूद, प्रतिवादी ने "IMS" ट्रेडमार्क का उपयोग जारी रखा और 17 अक्टूबर, 2011 को "IMS" ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए आवेदन संख्या 2220757 भी दायर किया। तदनुसार, दिनांक 07 मार्च, 2013 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तरीके से निर्देश पारित किए गए थे:

> ***"अंतर.आ. संख्या 14021/2012 (सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 39 नियम 1 एवं 2)***
>
> *आज प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का नोटिस मिलने के बाद, प्रतिवादी ने उस ट्रेडमार्क का उपयोग बंद कर दिया है जिसका वादी पंजीकृत स्वामी होने का दावा करता है। जब वादी के अधिवक्ता ने इस ओर ध्यान दिलाया कि रोक के आदेश के बावजूद प्रतिवादी ने उसी ट्रेडमार्क को पंजीकृत कराने के लिए ट्रेडमार्क अधिकारियों के समक्ष आवेदन दायर किया है और यह भी इस न्यायालय के आदेश की घोर अवज्ञा का कार्य है।*
>
> *इस तथ्य पर विवाद न करते हुए कि प्रतिवादी ने इस न्यायालय के रोक के आदेश (stay order) की प्राप्ति के बाद*

संबंधित ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, प्रतिवादी के अधिवक्ता ने उस आवेदन को वापस लेने और भविष्य में मुकदमे में प्रतिवादी द्वारा पहले से लिए गए बचाव (defence) के परिणाम के आधार पर उचित स्तर पर आवश्यक कदम उठाने की स्वेच्छा व्यक्त की। यह भी प्रस्तुत किया गया कि एक बार जब ट्रेडमार्क अधिकारियों के समक्ष लंबित वह आवेदन वापस ले लिया जाता है और इस न्यायालय को उस तथ्य की सूचना दे दी जाती है, तब यह न्यायालय आगे के विचार और उचित आदेशों के लिए मामले पर गौर कर सकता है।

"प्रतिवादी को ट्रेडमार्क अधिकारियों के समक्ष अपना आवेदन वापस लेने दें, जैसा कि आज उसके अधिवक्ता द्वारा उसकी ओर से स्वेच्छा से व्यक्त किया गया है। इस आवेदन पर आगे का विचार 08 अप्रैल, 2013 के लिए स्थगित किया जाता है, जिस तिथि को प्रतिवादी फर्म का प्रोपराइटर (मालिक) प्रश्नगत ट्रेडमार्क के पंजीकरण के आवेदन को वापस लेने के प्रमाण के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।"

14. तत्पश्चात, प्रतिवादी द्वारा उक्त ट्रेडमार्क आवेदन वापस ले लिया गया, जैसा कि दिनांक 08 अप्रैल, 2013 के आदेश में उल्लेखित है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

<u>"अंतर.आ. संख्या 14021/2012 (सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 39 नियम 1 एवं 2)</u>

"दिनांक 7 मार्च, 2013 के आदेश के अनुपालन में, प्रतिवादी के अधिवक्ता ने आज सूचित किया कि प्रतिवादी ने वह आवेदन वापस ले लिया है, जिसे उसने संबंधित ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए ट्रेडमार्क अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया था।"

दिनांक 9 अक्टूबर, 2013 को पुनः अधिसूचित करें।"

15. यह भी ध्यान देने योग्य है कि चूंकि प्रतिवादी अपने वचन (undertaking) के बावजूद अपने ट्रेडमार्क आवेदन की कार्यवाही जारी रखते हुए पाया गया था, इसलिए वादी ने 'सिविल प्रक्रिया संहिता' (CPC), 1908 के आदेश 39 नियम 2क के तहत अं.आ. संख्या 3265/2017 दायर किया। उक्त आवेदन का निपटारा 11 मई, 2017 के आदेश द्वारा प्रतिवादी के इस बयान पर किया गया कि यह कार्यवाही अभिलेख पर मौजूद अटॉर्नी द्वारा उसके निर्देशों के बिना की जा रही थी।

16. दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 के आदेश के माध्यम से वर्तमान वाद में दस मुद्दे निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

> *"xxx xxx xxx*
>
> *(i) क्या वादी 'IMS' ट्रेडमार्क का प्रोपराइटर (स्वामी) है? सिद्ध करने का भार वादी पर है (OPP)*
> *(ii) क्या प्रतिवादी वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क 'IMS' का उल्लंघन कर रहा है? सिद्ध करने का भार वादी पर है (OPP)*
> *(iii) क्या प्रतिवादी वादी के ट्रेडमार्क 'IMS' का 'किसी दूसरे का रूप देना' (अनुचित लाभ उठाना) कर रहा है? सिद्ध करने का भार वादी पर है (OPP)*
> *(iv) क्या प्रतिवादी वादी के सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क 'IMS' की साख को कम (dilute) और कलंकित कर रहा है? सिद्ध करने का भार वादी पर है (OPP)*
> *(v) क्या प्रतिवादी अध्ययन और पाठ्यक्रम सामग्री में वादी के कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहा है? सिद्ध करने का भार वादी पर है (OPP)*
> *(vi) क्या वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी व्यादेश का हकदार है? सिद्ध करने का भार वादी पर है (OPP)*

(vii) क्या वादी लाभ के खातों के विवरण का हकदार है? सिद्ध करने का भार वादी पर है (OPP)
(viii) क्या वादी आक्षेपित सामग्री की सुपुर्दगी पाने का हकदार है? सिद्ध करने का भार वादी पर है (OPP)
(ix) क्या वादी हर्जाने का हकदार है? सिद्ध करने का भार वादी पर है (OPP)
(x) राहत (Relief)

xxx xxx xxx"

17. दोनों पक्षकारगण ने अपने शपथ पत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए। PW-1 (वादी साक्षी-1) की प्रतिपरीक्षा 16 फरवरी, 2016, 10 फरवरी, 2017 और 30 मई, 2017 को की गई थी। PW-1 की प्रतिपरीक्षा 30 मई, 2017 को पूरी हुई।

18. DW-1 (प्रतिवादी साक्षी-1) की प्रतिपरीक्षा 23 अक्टूबर, 2019, 01 फरवरी, 2023 और 06 अप्रैल, 2023 को आयोजित की गई थी।

<u>मुद्दा-वार निष्कर्ष एवं विश्लेषण:</u>

<u>मुद्दा सं. i क्या वादी 'IMS' ट्रेडमार्क का स्वामी है?</u>

19. अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों और साक्ष्यों के अनुसार, वादी 'मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट' (प्रबंधन प्रवेश परीक्षा) कोचिंग के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान है, जिसका मुख्य ध्यान 'कॉमन एडमिशन टेस्ट' (CAT) और मुख्यधारा की MBA परीक्षाओं तथा अन्य राज्य/विश्वविद्यालय स्तरीय MBA प्रवेश परीक्षाओं पर है। वादी 'कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट' (CLAT), अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश परामर्श

(international admissions consulting), GMAT, GRE, TOEFL, IELTS, SAT और कई अन्य परीक्षाओं के लिए अध्ययन सामग्री और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

20. वादी का व्यवसाय देश भर में 100 से अधिक 'IMS' केंद्रों के माध्यम से संचालित होता है, जिनमें से 40 केंद्र वादी के स्वामित्व में हैं और शेष व्यावसायिक भागीदारों (business partners) के स्वामित्व में हैं। सभी केंद्र प्रमुखता से 'IMS' नाम का उपयोग करते हैं।

21. वादी ने शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों, सामग्रियों और उत्पादों के संबंध में वर्ष 1977 में 'IMS' ट्रेडमार्क को अपनाया था। 'IMS' चिन्ह 'Institute of Management Studies' शब्दों के पहले अक्षरों से प्राप्त किया गया है। वादी का 'IMS' ट्रेडमार्क उसके व्यापारिक नाम (trade name) का मुख्य और प्रमुख हिस्सा है।

22. वादी के पास कई श्रेणियों (classes) में 'IMS' चिन्ह और इसके विभिन्न रूपों (variants) के पंजीकरण हैं, जिनमें श्रेणी 9, 16, 35 और 41 शामिल हैं, जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

ट्रेड मार्क	पंजीकरण संख्या	वर्ग	पंजीकरण की तिथि	स्थिति
	1435210	35	23.03.2006	पंजीकृत
वस्तुएं (Goods): *आयात और निर्यात, विपणन और वितरण*				

Institute of Management Studies - IMS	822490	16	09.10.1998	पंजीकृत
वस्तुएं (Goods): *कागज और कागज की वस्तुएं, शिक्षण और निर्देशात्मक सामग्री, स्टेशनरी, विज्ञापन सामग्री, ब्रोशर और प्रिंटर सामग्री।*				
	1435184	09	23.03.2006	पंजीकृत
वस्तुएँ (Goods): वैज्ञानिक, प्राकृतिक, सर्वेक्षण, विद्युत, फोटोग्राफिक, सिनेमैटोग्राफिक, ऑप्टिकल, वजन करने वाले, मापने वाले, सिग्नल देने वाले, जाँचने वाले (पर्यवेक्षण), जीवन रक्षक और शिक्षण उपकरण एवं यंत्र; ध्वनि या छवियों की रिकॉर्डिंग, ट्रांसमिशन या पुनरुत्पादन के लिए उपकरण; चुंबकीय डेटा वाहक (magnetic data carriers), रिकॉर्डिंग डिस्क; स्वचालित वेंडिंग मशीनें, डेटा प्रोसेसिंग उपकरण और कंप्यूटर; अग्निशमन उपकरण।				
आईएमएस लर्निंग रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड	1421967	41	16.02.2006	पंजीकृत
अच्छा: शिक्षा; प्रशिक्षण प्रदान करना; मनोरंजन; थिएटर; खेल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ।				

23. वादी ने अपने पक्ष में 'IMS' चिन्ह के पंजीकरण और स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य दाखिल किए हैं, जिन्हें साक्ष्य की कार्यवाही के दौरान प्रदर्शित (exhibited), चिह्नित (marked) और सिद्ध किया गया है। उक्त दस्तावेज निम्नलिखित हैं:

i. दिनांक 1 नवंबर, 1999 का बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट (व्यवसाय हस्तांतरण करार) - Mark B.

ii. वादी का प्रोफाइल और वादी की वेबसाइट से इंटरनेट उद्धरण (extract), साथ ही वर्ष 1991 से 2001 तक के प्रॉस्पेक्टस - Exhibit PW1/9.

iii. वादी की वेबसाइट से इंटरनेट उद्धरण और 'एडवांस एज 2003-2004' से भागीदारों (partners) की सूची - Exhibit PW1/10.

iv. 'ब्रांड इक्विटी' (इकोनॉमिक टाइम्स) के 17 दिसंबर, 2003 के अंक की प्रति, जिसमें भारत के 'सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स 2003' का सर्वेक्षण शामिल है और जिसमें वादी को दर्शाया गया है - Exhibit PW1/11.

v. 'बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट, 1948' के तहत प्रतिष्ठान के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, जिसमें वर्ष 1979 से दुकान के किराए के भुगतान की रसीद दर्शायी गई है - Mark C.

vi. ट्रेडमार्क संख्या 822490, 1421967 और 1432184 के तहत पंजीकरण के लिए मूल कानूनी कार्यवाही प्रमाण पत्र (Legal Proceeding Certificates) - Exhibit PW1/13.

vii. विभिन्न श्रेणियों (Classes) में 'IMS' चिन्ह के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रमाण पत्र - Mark D.

24. तदनुसार, इस मुद्दे का निर्णय वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध किया जाता है, और यह माना जाता है कि वादी 'IMS' ट्रेडमार्क का प्रोपराइटर (स्वामी) है।

मुद्दा संख्या ii- क्या प्रतिवादी वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क 'IMS' का उल्लंघन कर रहा है?

मुद्दा संख्या iii - क्या प्रतिवादी वादी के ट्रेडमार्क 'IMS' का 'किसी दूसरे का रूप देना' (अनुचित लाभ उठाना) कर रहा है?

मुद्दा संख्या iv - क्या प्रतिवादी वादी के सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क 'IMS' की साख को कम (diluting) और कलंकित (tarnishing) कर रहा है?

25. वादी और प्रतिवादी ने 01 अप्रैल, 2007 को एक 'सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट' (सेवा प्रदाता करार) किया था। इसके बाद, वादी और प्रतिवादी ने 01 अप्रैल, 2010 को एक 'बिजनेस पार्टनरशिप एग्रीमेंट' (व्यावसायिक भागीदारी करार) किया, जिसमें वादी ने प्रतिवादी को मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश में एक केंद्र चलाने के लिए अपने ट्रेडमार्क 'IMS' का उपयोग करने की अनुमति दी, और प्रतिवादी को अपने प्रशिक्षण प्रारूप (training formats), सामग्री और जानकारी (know-how) प्रदान की। 01 अप्रैल, 2010 के करार के तहत, प्रतिवादी के पास 'IMS' चिन्ह बनाने या उसे धारण करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादी के लिए प्राप्त सूचनाओं की गोपनीयता और गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक

था। प्रतिवादी ने 'IMS' चिन्ह पर वादी के अधिकारों को भी स्वीकार किया। उक्त करार की संबंधित धाराएं नीचे उद्धृत की गई हैं:

> *"xxx xxx xxx*
>
> ***6 - IMS और व्यवसायिक साझेदार के मध्य संबंध:***
>
> *xxx xxx xxx*
>
> ***2. व्यवसाय भागीदार के पास IMS के नाम पर या IMS की ओर से किसी भी दायित्व (Obligation), चाहे वह स्पष्ट हो या निहित, को उत्पन्न करने या ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है, सिवाय इसके कि जैसा यहाँ विशेष रूप से प्रदान किया गया है: व्यवसाय भागीदार द्वारा नियुक्त किए गए या उसके लिए काम करने वाले सभी कर्मचारी हमेशा व्यवसाय भागीदार के ही कर्मचारी रहेंगे। व्यवसाय भागीदार को हमेशा अपने कर्मचारियों के प्रति सभी वैधानिक (Statutory), संविदात्मक (Contractual) या अन्य दायित्वों के लिए जिम्मेदार माना जाएगा, जिसमें IMS का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।***
>
> *xxx xxx xxx*
>
> ***7. व्यावसायिक साझेदार का दायित्व:***
>
> *xxx xxx xxx*
>
> ***5. गोपनीयता/बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR): व्यवसाय भागीदार (Business Partner) उन सभी सूचनाओं की शुचिता और गोपनीयता बनाए रखने का वचन देता है, जो उसे सेवा प्रदान करने के दौरान प्राप्त हो सकती हैं। इसके साथ ही, वह डेटाबेस, सामग्री, पुस्तकों आदि में IMS के बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) की सदैव रक्षा करेगा।***
>
> *xxx xxx xxx*
>
> ***13. प्रतिस्पर्धा निषेध खंड: (NON COMPETE CLAUSE)***

व्यवसाय साझेदार यह कथन करता है (जैसा लागू हो):

1. कोई निदेशक, शेयरधारक, कर्मचारी, संविदात्मक सेवा प्रदाता अथवा उनके परिवारजन:
2. कोई साझेदार, कर्मचारी, संविदात्मक सेवा प्रदाता अथवा उनके परिवारजन:

3. *न तो वह (व्यवसाय भागीदार), न ही उसके कर्मचारी या संविदात्मक सेवा प्रदाता, और न ही उनके परिवार के सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यवसाय या गैर-लाभकारी गतिविधि में रुचि रखते हैं जो IMS के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में हो। व्यवसाय भागीदार यह सहमति देता है और वचन देता है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि न तो वह और न ही उसके परिवार के सदस्य इस करार की अवधि के दौरान और उसके बाद छह महीने की अतिरिक्त अवधि तक IMS के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा वाले किसी भी व्यवसाय या गैर-लाभकारी गतिविधि में शामिल होंगे या उससे संबंधित होंगे।*

xxx xxx xxx

18. ट्रेडमार्क और बौद्धिक संपदा अधिकार:

1. इसमें (अनुबंध में) शामिल किसी भी बात के बावजूद, ***व्यवसाय भागीदार (Business Partner) यह स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि 'IMS' अपने उत्पादों और/या सेवाओं से जुड़े सभी व्यापारिक नामों (Trade Names), सभी पंजीकृत ट्रेडमार्क और अपंजीकृत ट्रेडमार्क के सभी अधिकारों का एकमात्र स्वामी है। इस करार की अवधि के लिए, 'IMS' व्यवसाय भागीदार को इस करार के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए अपने ट्रेडमार्क का उपयोग करने हेतु एक गैर-अनन्य (non-exclusive), अहस्तांतरणीय (non-transferable), सीमित अवधि का और रॉयल्टी-मुक्त लाइसेंस प्रदान करता है।*** *व्यवसाय भागीदार हमेशा इस बात के लिए बाध्य रहेगा कि वह ट्रेडमार्क या बौद्धिक संपदा अधिकारों*

के किसी भी उल्लंघन की जानकारी होने पर 'IMS' को सूचित करे, और 'IMS' के बौद्धिक संपदा अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक सभी उचित सहायता प्रदान करे।

2. व्यवसाय भागीदार (Business Partner) यह स्वीकार करता है कि उसके द्वारा IMS से संबंधित सामग्रियों या पुस्तकों में सुझाए गए कोई भी और सभी परिवर्तन, सुधार, संशोधन, संवर्द्धन और व्युत्पन्न कार्य इसके द्वारा व्यवसाय भागीदार द्वारा IMS को सौंपे (assign) जाते हैं। उन पर सभी अधिकारों, शीर्षक और हितों का विशेष स्वामित्व केवल IMS का होगा।

2. अतिरिक्त सेवाएँ :*IMS समय-समय पर व्यवसाय भागीदार (Business Partner) से अतिरिक्त सेवाएँ प्रदान करने की अपेक्षा कर सकता है। ऐसी स्थिति में, उन सेवाओं के लिए पारिश्रमिक या शुल्क वह होगा जो पक्षकारगण द्वारा आपसी सहमति से निर्धारित किया जाएगा।*

3. स्थानांतरित होकर आने वाले छात्र : *किसी अन्य लर्निंग सेंटर (अध्ययन केंद्र) में नामांकित छात्र के मामले में, जिसने अपना निवास उस क्षेत्र (Territory) में स्थानांतरित कर लिया है और वह लर्निंग सेंटर पर उसी या उसके समान पाठ्यक्रम में शामिल होने का इच्छुक है, तो IMS लर्निंग सेंटर में सीटों की उपलब्धता के आधार पर और व्यवसाय भागीदार (Business Partner) के परामर्श से उसे ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश दे सकता है। IMS ऐसे सभी "स्थानांतरित होकर आने वाले" छात्रों के संबंध में व्यवसाय भागीदार को उसी दर पर आनुपातिक (pro rata) आधार पर शुल्क का भुगतान करेगा, जो लर्निंग सेंटर के नियमित छात्र पर लागू होती है।*

4. स्थानांतरित होकर बाहर जाने वाले छात्र *: लर्निंग सेंटर (अध्ययन केंद्र) में नामांकित किसी छात्र के मामले में, जिसने अपना निवास किसी अन्य क्षेत्र (Territory) में स्थानांतरित कर*

लिया है और वह उस (अन्य) लर्निंग सेंटर पर उसी या उसके समान पाठ्यक्रम में शामिल होने का इच्छुक है, तो IMS उस लर्निंग सेंटर में सीटों की उपलब्धता के आधार पर और व्यवसाय भागीदार (Business Partner) के परामर्श से उसे ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश दे सकता है। IMS ऐसे सभी "स्थानांतरित होकर बाहर जाने वाले" छात्रों के संबंध में व्यवसाय भागीदार को भुगतान किए गए या देय शुल्क में से आनुपातिक (pro rata) आधार पर कटौती करेगा। यह कटौती उन्हीं दरों पर होगी जो लर्निंग सेंटर के नियमित छात्र पर लागू होती हैं।

***5. अधिकार**: दोनों पक्षकार पुष्टि करते हैं कि उनके पास इस करार में प्रवेश करने की शक्ति है और जहाँ लागू हो, इस संबंध में उनके संबंधित शासी निकाय (governing body) की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।*

***6. पृथक्करणीयता (Severance):** यदि इस करार का कोई भी प्रावधान किसी नए कानून के कारण अवैध हो जाता है या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा शून्य (void), शून्यकरणीय (voidable), अवैध या अन्यथा अप्रवर्तनीय (unenforceable) घोषित कर दिया जाता है, तो कानून की नजर में करार को वैध और मान्य बनाने के लिए ऐसे प्रावधान को आवश्यक सीमा तक संशोधित माना जाएगा। यदि संशोधन संभव न हो, तो उस प्रावधान को हटा दिया गया (deleted) माना जाएगा और इस करार के शेष प्रावधान पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू रहेंगे।*

***7. संपूर्ण करार :** यह करार, इसके सभी अनुसूचियों/अनुलग्नकों (Schedules/Annexure) सहित, इसमें निहित मामलों के संबंध में पक्षकारगण के बीच पूर्ण करार का गठन करता है और पक्षकारगण के बीच हुए सभी पिछले करार और समझ को प्रतिस्थापित (supersedes) करता है। इस करार के तहत किसी पक्षकार के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करने में कोई*

भी पक्षकार किसी अन्य संचार, ईमेल, बातचीत, विलेख (deed) या लेखन का संदर्भ नहीं देगा।

8. विज्ञापन और प्रचार : IMS अपने उत्पादों और सेवाओं के विपणन (marketing) के लिए विज्ञापन और प्रचार अभियान तैयार कर सकता है और उन्हें चला सकता है, तथा वह व्यवसाय भागीदार (Business Partner) से अपने दायित्वों के हिस्से के रूप में ऐसी पहलों में भाग लेने की अपेक्षा कर सकता है। व्यवसाय भागीदार द्वारा IMS की पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ खर्च की गई किसी भी राशि की प्रतिपूर्ति (reimbursement) उसे की जाएगी। किसी भी विज्ञापन, प्रचार सामग्री, पोस्टर, विवरणिका (brochure), पत्रक (leaflets), प्रेस विज्ञप्ति आदि का संपूर्ण माध्यम (media), टेक्स्ट, डिज़ाइन और लेआउट IMS द्वारा प्रदान किया जाएगा।

9. अधित्याग (Waiver): *इस करार के तहत अपने अधिकारों को लागू करने में IMS की ओर से की गई कोई भी सहनशीलता (forbearance) या अधित्याग (छूट), भविष्य में व्यवसाय भागीदार (Business Partner) द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में ऐसे अधिकारों का अधित्याग नहीं माना जाएगा।*

10. सूचनाएं (Notices): *जब तक कि एक अनुबंध करने वाले पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को लिखित में अन्यथा सूचित न किया गया हो, सभी सूचनाएं लिखित रूप में कूरियर या पंजीकृत डाक (Registered Post A.D.) द्वारा दूसरे पक्षकार को निम्नलिखित पतों पर भेजी जाएंगी:*

xxx xxx xxx" *(जोर दिया गया)*

26. 01 फरवरी, 2011 से प्रभावी रूप से, प्रतिवादी द्वारा मेरठ में संचालित किए जा रहे 'IMS' केंद्र को वादी और प्रतिवादी की आपसी सहमति से बंद कर दिया गया था। प्रतिवादी ने 01 फरवरी, 2011 को एक 'एग्जिट पेपर' (निकास पत्र) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वह 01 फरवरी, 2011 से 'IMS' चिन्ह का किसी भी रूप में उपयोग न करने के लिए सहमत हुआ। 01 फरवरी, 2011 के एग्जिट पेपर, यानी प्रदर्श P-2 (PW-1/2) को नीचे उद्धृत किया गया है:

एग्जिट पेपर (निकास पत्र)

दिनांक: 1 फरवरी 2011

केंद्र को बंद करने के संबंध में आपके 1 फरवरी 2011 के मेल/पत्र के संदर्भ में, उपरोक्त तिथि से आपसी सहमति से हम निम्नलिखित बातों पर सहमत हुए हैं:

1. नामांकित छात्र आपके पास IMS के सभी नामांकित छात्रों को उनकी कक्षाओं, कार्यशालाओं (Workshops), टेस्ट सीरीज के संचालन, GD/PI और उत्पाद नियमावली (Product manual) के अनुसार आवश्यक किसी भी अन्य सेवा के संबंध में आपके द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी।

2. परिसर IMS परिसर पर कब्जा करने के लिए उपयोग के पहले अधिकार को सुरक्षित रखेगा। यदि IMS परिसर का उपयोग करने के अधिकार का प्रयोग करता है, तो IMS रेंटल एग्रीमेंट (किराया करार) को अपने नाम पर स्थानांतरित करने से पहले संबंधित महीनों के लिए मासिक किराए की प्रतिपूर्ति करेगा।

3. मार्केटिंग उपरोक्त तिथि से आप IMS के नाम पर कोई भी मार्केटिंग और प्रचार गतिविधियां करने के पात्र नहीं हैं।

4. ब्रांड उपरोक्त तिथि से आप किसी भी रूप में IMS ब्रांड का उपयोग करने के पात्र नहीं हैं।

5. मासिक दावे साझेदार (Partner) अब तक IMS के किसी भी कार्यक्रम के लिए एकत्र किए गए सभी पाठ्यक्रम शुल्क को IMS की जमा नीति के अनुसार जमा करने का पालन करेगा। सभी मासिक दावों का निपटान 31 जनवरी 2011 तक किया जाएगा और दावों का भुगतान साझेदारी करार की समाप्ति की तारीख के बाद किया जाएगा।

6. सुरक्षा जमा सभी नामांकित IMS छात्रों की सेवा (servicing) पूरी होने के बाद सुरक्षा जमा राशि आपको वापस कर दी जाएगी। यदि साझेदार (Partner) पर कंपनी का कोई बकाया है (जैसे कि अनसुलझा शुल्क, केंद्र की गतिविधियों के लिए ऋण या अग्रिम राशि आदि), तो उस राशि को सुरक्षा जमा से काट लिया जाएगा।

7. गैर-प्रतिस्पर्धा खंड साझेदार ने यह पुष्टि की है कि न तो वह और न ही उसके परिवार के सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से IMS के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा वाले किसी भी व्यवसाय में रुचि रखते हैं। साझेदार इससे सहमत होता है और वचन देता है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि न तो वह और न ही उसके परिवार के सदस्य इस करार की अवधि के दौरान और उसके बाद छह महीने की अतिरिक्त अवधि तक IMS के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा वाले किसी भी व्यवसाय में शामिल या उससे जुड़े नहीं होंगे।

8. पूर्ण और अंतिम निपटान मैं/हम उपरोक्त सभी बिंदुओं को स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में इसके बाद बताई गई राशि प्राप्त होने पर, न तो मेरे/हमारे और न ही मेरे/हमारे माध्यम से दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति का IMS के विरुद्ध कोई भी दावा शेष रहेगा।

> साझेदार की ओर से बिंदु संख्या 1, 3, 4, 5 और 7 का किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर IMS द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सुरक्षा जमा व लंबित दावों को जब्त करने जैसी पेनल्टी (जुर्माना) लगाई जाएगी।
>
> मैं एतद्द्वारा उपरोक्त नियम और शर्तें स्वीकार करता हूँ:

27. चूंकि प्रतिवादी ने IMS चिह्न का उपयोग जारी रखा, इसलिए वर्तमान वाद दायर किया गया।

28. एग्जिट पेपर (Exit Paper) पर हस्ताक्षर करने के पश्चात, प्रतिवादी ने 'IMS YOUNG ACHIEVERS LEARNING CENTER' के रूप में प्रत्यय (suffix) जोड़कर वादी के चिन्ह का उपयोग करना शुरू कर दिया। प्रतिवादी ने 30 मार्च, 2011 को एक समाचार पत्र में एक पूर्ण पृष्ठ का विज्ञापन प्रकाशित करवाया (प्रदर्श PW-1/4), जिसे नीचे पुनरुत्पादित (reproduce) किया गया है:

29. उपर्युक्त विज्ञापन के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी ने यह दावा किया कि 'IMS' ट्रेडमार्क की अब एक नई छवि है और यह प्रतिवादी के स्वतंत्र नेतृत्व में चल रहा है। प्रतिवादी ने इस शब्दावली का उपयोग किया कि 'पुराना IMS अब श्री लव जैन के स्वतंत्र नेतृत्व में नई छवि के साथ अधिक जीवंत और अधिक प्रभावी है'। प्रतिवादी ने वादी के 'IMS' लोगो को क्रॉस कर (काट) दिया और एक अलग लोगो में 'IMS' का उपयोग किया। इसके अलावा, प्रतिवादी ने विज्ञापन के नीचे 'IMS YOUNG ACHIEVERS LEARNING CENTER' लिखते हुए वादी के ट्रेडमार्क 'IMS' का भी उपयोग किया।

30. यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी ने 27 अप्रैल, 2011 को एक ईमेल (प्रदर्श PW-1/29) वादी के लगभग 100 व्यावसायिक भागीदारों (business partners) को भेजा, जिसमें उसने स्वीकार किया कि वह अब वादी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है और वादी के ट्रेडमार्क 'IMS' का एक नए रूप में उपयोग कर रहा है। उक्त ईमेल दिनांक 27 अप्रैल, 2011 (प्रदर्श PW-1/29) नीचे पुनरुत्पादित किया गया है:

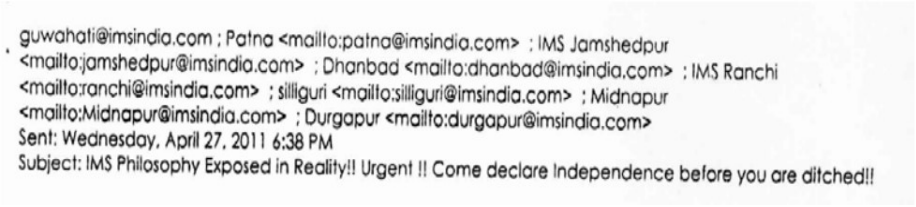
guwahati@imsindia.com ; Patna <mailto:patna@imsindia.com> ; IMS Jamshedpur
<mailto:jamshedpur@imsindia.com> ; Dhanbad <mailto:dhanbad@imsindia.com> ; IMS Ranchi
<mailto:ranchi@imsindia.com> ; silliguri <mailto:silliguri@imsindia.com> ; Midnapur
<mailto:Midnapur@imsindia.com> ; Durgapur <mailto:durgapur@imsindia.com>
Sent: Wednesday, April 27, 2011 6:38 PM
Subject: IMS Philosophy Exposed in Reality!! Urgent !! Come declare Independence before you are ditched!!

भेजा गया: बुधवार, 27 अप्रैल, 2011 शाम 6:38 बजे

विषय: IMS का असली चेहरा सामने आ गया!! अति आवश्यक!! इससे पहले कि आपको धोखा दिया जाए, आइए और अपनी आज़ादी का ऐलान कीजिए!!

नमस्ते,

मैं लव जैन हूँ, आईएमएस यंग अचीवर्स मेरठ (IMS Young Achievers Meerut) का मालिक। मैंने हाल ही में आईएमएस लर्निंग रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड मेरठ (IMS Learning Resources Pvt Ltd Meerut) की फ़्रैंचाइज़ी छोड़ी है। मैं फ़्रैंचाइज़ी छोड़ने के तुरंत बाद मिली सफलता से जुड़े कुछ अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ– हालाँकि, फ़्रैंचाइज़ी छोड़ने की यह नौबत IMS की तरफ़ से एकतरफ़ा फ़ैसले के कारण आई थी।

मैं ये अनुभव इसलिए साझा कर रहा हूँ, क्योंकि हममें से किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है; और ऐसे अनुभव के बाद, कुछ ज़रूरी कदम उठाकर सफलता सुनिश्चित की जा सकती है:

1. यह इस प्रकार हुआ कि 1 फरवरी, 2011 को मुझे दिल्ली के सीपी (CP) ब्रांच में मेरठ की बाजार रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। वहाँ पहुँचने पर श्री देवेश ने मुझे बताया कि एक नीतिगत मामले के रूप में हम अपने सभी भागीदारों से एक 'एग्जिट लेटर' (निकास पत्र) पर हस्ताक्षर करने के लिए कह रहे हैं, जो कि करार की एक सामान्य समझ जैसा ही है। इस व्यक्ति ने गलत इरादों के साथ दस्तावेज़ पर मेरे हस्ताक्षर धोखे से लिए, जिसे मैं आप सभी के साथ एक अटैचमेंट में साझा कर रहा हूँ। इन लोगों ने गुपचुप तरीके से, बिना मेरी जानकारी के मेरठ केंद्र पर फोन किया और हमारे ईएस (ES) सिस्टम पर वीएनसी (VNC) का अनुरोध किया, जो वैसे भी कर्मचारियों द्वारा नियमित प्रक्रिया के रूप में उन्हें दे दिया गया था। लेकिन कुछ ही सेकंड के भीतर उन्होंने ईएस (ES) को मिटा दिया। बाद में मुझे बताया गया कि बाजार की स्थितियों और एकीकरण (consolidation) के चलते उन्होंने मेरठ की फ्रेंचाइजी बंद कर दी है। मुझे करार समाप्त करने का कोई कारण नहीं बताया गया।

2. यह किसी के लिए भी अस्तित्व (survival) का सवाल हो सकता था और मेरे लिए भी ऐसा ही था। मैंने 'IMS' केंद्र चलाने के दौरान भी अपना 12 साल पुराना ब्रांड "Young Achievers" कभी नहीं हटाया, जो हमेशा IMS की वेबसाइट पर मेरठ केंद्र के स्थान (location) के साथ दिखाई देता रहा। अब मैंने केवल एक कदम उठाया और "IMS Young Achievers" को दर्शाते हुए अपना स्वयं का बनाया हुआ लोगो जोड़ा, जिसे एक पूरे पृष्ठ के विज्ञापन का समर्थन प्राप्त था, जिसमें पुराने ब्रांड IMS से आजादी की घोषणा की गई थी। जैसा कि अपेक्षित था, IMS ने उसी समाचार पत्र में एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया, "मेरठ में हमारी कोई शाखा नहीं है" और दावा किया कि हमारे द्वारा जारी किया

गया विज्ञापन भ्रामक है। साथ ही, नोटिस में दिए गए संदेश में खुदके ब्रांड IMS की प्रशंसा की गई।

3. IMS हमें हमारे नए ब्रांड से संबंधित कानूनी नोटिस भेज रहा है जो कि लक्ष्यहीन (aimless) प्रतीत होते हैं और उनसे किसी भी अदालत में निपटा जाएगा। मेरे वकील न्याय के मंदिर (Court of Justice) में इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं।

4. सुरक्षा राशि (Security amount) अभी तक वापस नहीं की गई है और इस मामले से किसी भी अदालत में मजबूती से निपटा जा सकता है। वास्तव में, हम सभी के पास कानूनी अधिकार हैं और कई बार, विशेष रूप से इन परिस्थितियों में, व्यक्ति को कानूनी विकल्प अपनाने से पीछे नहीं हटना चाहिए।

अब IMS के बाद के अनुभवों पर आते हैं।

1. IMS द्वारा फ्रेंचाइजी बंद करने के निर्णय के बारे में जानने के बाद मैंने सबसे पहला काम यह किया कि अगले ही दिन अपने केंद्र की री-ब्रांडिंग (Re-branding) **"IMS Young Achievers"** के रूप में कर दी और IMS लोगो वाले सभी साइनबोर्ड हटा दिए।

2. फ्रेंचाइजी बंद करने के फैसले के अगले ही दिन, मैंने अपने सभी छात्रों की एक बैठक बुलाई और उनसे IMS के अलावा CAT प्रशिक्षण के लिए एक नया और बेहतर पाठ्यक्रम (Syllabus) शुरू करने के बारे में चर्चा की। छात्रों को सेवा प्रदान करने के हमारे जुनून को देखते हुए, सभी छात्र हमें अच्छी तरह से समझ गए और उन्होंने हमारे साथ ही रहने का फैसला किया। दूसरी ओर, हमने फीस को ₹21,000/- से घटाकर ₹15,000/- कर दिया, जिससे छात्रों में भारी उत्साह देखा गया और केवल पिछले 2 महीनों में ही हमारे पास 150 से अधिक नामांकन (Enrollments) हुए।

3. हमने अपने सभी छात्रों के लिए 'टेस्ट फंडा' (Test Funda) की अध्ययन सामग्री पेश की है, जो IMS द्वारा दी जाने वाली सामग्री से

कहीं बेहतर साबित हुई है। यह कम कीमत पर भी उपलब्ध है, जिसमें सभी टेस्ट सीरीज़ शामिल हैं और इसकी लागत छात्र की कुल फीस का केवल 20% है।

4. छात्रों का आना कभी कम नहीं हुआ, बल्कि इसमें और बढ़ोतरी ही हुई; क्योंकि अध्ययन सामग्री और सेवाओं में काफी सुधार हुआ था, जिससे उन्हें अपने पैसे का बेहतर मूल्य प्राप्त हुआ।

मैं आप सभी इच्छुक व्यक्तियों को 'IMS Young Achievers' के एक अम्ब्रेला ब्रांड के रूप में 85:15 के साझाकरण अनुपात पर, बिना किसी शर्तों (no strings attached) के हमारे साथ जुड़ने का आह्वान करता हूँ। हम आपको अध्ययन सामग्री और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे, जो किसी भी अन्य ब्रांड से बेहतर है।

मित्रों! आप भी किसी न किसी दिन इन कंपनियों के हाथों ऐसी ही स्थिति का सामना कर सकते हैं, जो विशुद्ध रूप से 'जीत-हार' (Win-lose) के संबंध पर काम करती हैं और महान दर्शन (philosophies) होने का दावा करती हैं। मैं आपको इस प्रस्ताव को समझने के लिए आमंत्रित करता हूँ। कृपया इस मेल को द्वेषपूर्ण मेल न समझें, बल्कि इसे एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार करें। आजकल यदि आप अपने द्वारा हस्ताक्षरित करार को दोबारा देखेंगे, तो वे पूरी तरह से एकतरफा और कंपनियों के पक्ष में हैं। वे निश्चित रूप से आपको कठिन परिस्थिति में डाल देंगे या उस समय आपको घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे जब आप स्वतंत्रता की आकांक्षा करेंगे! 60:40 का साझाकरण अनुपात (sharing ratio) पूरी तरह से अव्यावहारिक है और हम सभी जानते हैं कि हम कैसे प्रबंधन करते हैं! इसलिए जागें, योजना बनाएं और एक बेहतर, स्वतंत्र और सुरक्षित भविष्य का निर्णय लें। मेरा ब्रांड IMS के विरुद्ध काम करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि निश्चित रूप से बेहतर विचारों के साथ अपना स्थान बनाना है। सफलता उन बदलावों पर निर्भर करती है जिन्हें हम कभी-कभी डर के कारण या असुरक्षित महसूस करने

के कारण नजरअंदाज कर देते हैं, और अव्यावहारिक स्थितियों में ही संतुष्ट रहते हैं।"

इस प्रकार की कोचिंग में यह आपकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता है जो सबसे अधिक मायने रखेगी, न कि IMS, CL या TIME जैसे ब्रांड। वास्तव में, ऐसे कई सफल कोचिंग संस्थान हैं जो अपनी स्वयं की विचारधाराओं के साथ विशिष्ट रूप से कार्य करते हैं। किसी और के लिए काम करने और अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा उन्हें देने के बजाय, आइए अपने उद्देश्यों की वास्तविकता की जाँच करके स्वयं की संपत्ति (wealth) बनाएँ। हमारी सफलता उत्पादों (products) पर नहीं बल्कि सेवा (servicing) पर निर्भर करती है। IMS और CL जैसी कंपनियाँ उत्पादों पर काम करती हैं और हम सेवा प्रदाता (service providers) हैं, इसलिए आइए दूसरों के लिए संपत्ति बनाकर खुद का शोषण न होने दें, बल्कि हमें वास्तव में सफल होने के लिए अपनी स्वयं की संपत्ति बनानी चाहिए...

"कृपया इन विषयों पर वापस उत्तर न दें यदि आपके विचार भिन्न हों, क्योंकि यह केवल एक राय है। यह निश्चित रूप से आपको अपना भविष्य नियोजित करने में मदद करेगा, ऐसी किसी संभावित स्थिति (eventuality) की स्थिति में जिसे हम में से कुछ लोग अभी शायद भांप नहीं पा रहे हैं..."

सादर

लव जैन

31. 27 अप्रैल, 2011 के उपरोक्त ईमेल (प्रदर्श PW-1/29) में, प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह 'IMS' ब्रांड का उपयोग एक ट्रेडमार्क के रूप में कर रहा है, साथ ही उसने यह भी स्वीकार किया है कि 'IMS' वादी (plaintiff)

का एक ब्रांड है। प्रतिवादी ने उक्त पत्र में कहा है कि वह 'IMS LEARNING RESOURCES PVT LTD., MEERUT FRANCHISEE' को हाल ही में छोड़ने के बाद "IMS YOUNG ACHIEVERS" नाम का उपयोग कर रहा है। प्रतिवादी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने 1 फरवरी, 2011 को एग्जिट पेपर (Exit Paper) पर हस्ताक्षर किए थे।

32. प्रतिवादी द्वारा लिखे गए उपरोक्त ईमेल को पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी ने "पुराने ब्रांड IMS से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए एक पूरे पृष्ठ के विज्ञापन के समर्थन के साथ 'IMS Young Achievers' को दर्शाने वाला अपना 'स्वयं का लोगो' बनाया"। प्रतिवादी ने यह भी स्वीकार किया, "मैंने IMS लोगो वाले सभी साइन बोर्ड हटाने के बाद अगले ही दिन अपने केंद्र को 'IMS Young Achievers' के रूप में री-ब्रांड (rebranded) कर दिया।"

33. उक्त प्रदर्श (Exhibit) PW-1/29 में, प्रतिवादी स्वीकार करता है कि उसने फीस को ₹21,000/- से घटाकर ₹15,000/- कर दिया है और पिछले दो महीनों में उसके पास 150 नामांकन (enrolments) हुए हैं।प्रतिवादी ने यह कहते हुए वादी का व्यावसायिक भागीदारों के साथ संबंध तोड़ने का प्रयास भी किया कि, "मैं वादी के सभी व्यावसायिक भागीदारों को बिना किसी शर्तों के 85:15 के साझाकरण अनुपात (sharing ratio) पर 'IMS Young Achievers' के अम्ब्रेला ब्रांड के तहत प्रतिवादी के साथ जुड़ने का आह्वान करता हूँ।"

34. इस न्यायालय ने एक स्थानीय आयुक्त (Local Commissioner) नियुक्त किया था, जिन्होंने 28 सितंबर, 2011 को कमीशन की कार्यवाही (निरीक्षण) की थी। 26 नवंबर, 2011 की स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के प्रासंगिक अंश नीचे दिए गए हैं:

> *"xxx xxx xxx*
>
> ***6. पहुँचने पर, अधोहस्ताक्षरी (undersigned) ने परिसर के बाहर प्रदर्शित प्रतिवादी का एक साइन-बोर्ड देखा, जिसमें दो स्थानों पर 'IMS' मार्क प्रदर्शित था। बोर्ड और उस पर अंकित मार्क का आकार ऐसा था कि वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था और आस-पास के किसी भी अन्य बोर्ड से अलग पहचाना जा सकता था। अ****धोहस्ताक्षरी ने उक्त साइन-बोर्ड की तस्वीरें लीं और उन्हें इसके साथ संलग्न कर 'अनुलग्नक बी' (Annexure 'B') के रूप में चिह्नित किया गया है।*
>
> ***7. इसके पश्चात, अधोहस्ताक्षरी (undersigned) उपरोक्त व्यक्तियों और वादी के वकील के क्लर्क श्री महेंद्र के साथ गंगा प्लाजा कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर गए, जहाँ प्रतिवादी का कार्यालय स्थित था। अधोहस्ताक्षरी ने देखा कि 'IMS' मार्क वहां फिर से 5 स्थानों पर प्रदर्शित था।*** *अधोहस्ताक्षरी ने संबंधित परिसर के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित आक्षेपित मार्क की फिर से तस्वीरें लीं और उन्हें इसके साथ संलग्न कर 'अनुलग्नक सी' (Annexure 'C') के रूप में चिह्नित किया गया है।*
>
> *8. इसके बाद, अधोहस्ताक्षरी (undersigned) प्रतिवादी के कार्यालय के भीतर गए जहाँ श्री लव जैन मौजूद थे। प्रतिवादी के कार्यालय में दो कमरे थे।* ***बाहरी कमरे में कंप्यूटर और प्रिंटर के साथ तीन क्यूबिकल/वर्क स्टेशन थे, और एक बुक-शेल्फ था जिसमें बड़ी संख्या में पाठ्यक्रम सामग्री (course material),***

<u>संदर्भ पुस्तकें और 'IMS' मार्क वाले कागजात खुले में प्रदर्शित थे। उक्त कमरे की दीवारों पर विभिन्न पोस्टर लगे थे, जिन पर भी आक्षेपित मार्क प्रदर्शित था। इसके अलावा, वहाँ एक नोटिस बोर्ड था जिस पर पुराने समाचार पत्रों की कतरनें (cuttings) प्रदर्शित थीं, जिन पर आक्षेपित मार्क के नए स्टिकर चिपकाए गए थे। दूसरा कमरा एक क्लासरूम की तरह तैयार किया गया था जिसमें भी आक्षेपित मार्क प्रदर्शित था।</u>

9. अधोहस्ताक्षरी (undersigned) ने इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की एक प्रति श्री लव जैन को सौंपी और उन्हें सूचित किया कि अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवादी के उक्त परिसर का निरीक्षण करने, उल्लंघनकारी सामग्री को जब्त करने और सूची (inventory) बनाने के बाद उसे 'सुपुर्दारी' (Superdari) पर वापस सौंपने का निर्देश दिया गया है। उन्हें यह भी अवगत कराया गया कि अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवादी के लेखा पुस्तकों (books of accounts) पर हस्ताक्षर करने का भी निर्देश दिया गया है।

10. माननीय न्यायालय के आदेश को पढ़ने के बाद, श्री लव जैन ने अधोहस्ताक्षरी (undersigned) को परिसर का निरीक्षण करने, सूची (inventory) बनाने या अपने परिसर की तस्वीरें लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा, उन्होंने निरीक्षण के लिए लेखा पुस्तकों (books of accounts) प्रस्तुत करने से भी मना कर दिया।

xxx xxx xxx" *(जोर दिया गया)*

35. 26 नवंबर, 2011 की स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि परिसर के बाहर, जहाँ प्रतिवादी का कार्यालय/केंद्र स्थित था, प्रतिवादी का एक साइन-बोर्ड प्रदर्शित था और उस पर 'IMS' मार्क दो स्थानों पर अंकित था। इसके अलावा, प्रतिवादी के परिसर के प्रवेश द्वार पर 'IMS'

मार्क पांच स्थानों पर प्रदर्शित पाया गया। यह भी नोट किया गया कि 'IMS' मार्क के साथ-साथ एक बुकशेल्फ, जिसमें बड़ी संख्या में पाठ्यक्रम सामग्री (course material), संदर्भ पुस्तकें और 'IMS' मार्क वाले कागजात थे, खुले में प्रदर्शित किए गए थे। कार्यालय के कमरे की दीवारों पर विभिन्न पोस्टर लगे थे, जिन पर भी आक्षेपित मार्क प्रदर्शित था। वहाँ ऐसे नोटिस बोर्ड भी थे जिन पर पुराने समाचार पत्रों की कतरनें (cuttings) प्रदर्शित थीं, जिनमें आक्षेपित मार्क के नए स्टिकर चिपकाए गए थे, और क्लासरूम में भी आक्षेपित मार्क प्रदर्शित किया गया था।

36. यह न्यायालय नोट करता है कि 19 सितंबर, 2011 के व्यादेश आदेश के बावजूद, जिसे 23 मई, 2012 को पूर्ण कर दिया गया था, प्रतिवादी ने व्यादेश आदेश के बाद लगभग एक वर्ष तक 'IMS' मार्क का उपयोग जारी रखा। प्रतिवादी ने न केवल उस मार्क का उपयोग जारी रखा, बल्कि उसने 17 अक्टूबर, 2011 को 'IMS Young Achievers' मार्क के लिए एक ट्रेडमार्क आवेदन (प्रदर्श PW-1/5) भी दायर किया। यह केवल तब हुआ जब वादी ने 19 सितंबर, 2011 और 23 मई, 2012 के आदेशों की अवमानना (contempt) के लिए आदेश XXXIX नियम 2क सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन (संख्या अं.आ. No. 14021/2012) दायर किया, तब प्रतिवादी ने स्वेच्छा से अपना ट्रेडमार्क आवेदन वापस लेने की पेशकश की और तदनुसार उसे वापस ले लिया।

37. प्रतिवादी की प्रति-परीक्षा (cross-examination) के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी वर्ष 1998 से मेरठ में "Young Achievers" के नाम से अपना संस्थान चला रहा था। इसके अलावा, प्रतिवादी ने स्वीकार किया है कि वह वादी (plaintiff) के बारे में जानता था, और उसने 1993 में अपने स्नातक (graduation) के समय से ही एक छात्र के रूप में वादी के बारे में सुना था। 23 अक्टूबर, 2019 को DW-1 श्री लव जैन की प्रति-परीक्षा का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

"xxx xxx xxx

प्रश्न: *प्रतिवादी (संस्थान) की स्थापना कब हुई थी?*

उत्तर: *इसकी स्थापना 1998 में मेरठ में हुई थी।*

प्रश्न: *1998 से आप किस व्यवसाय में हैं?*

उत्तर: *मैं छात्रों को प्रशिक्षण और परामर्श (counseling) देने के व्यवसाय में हूँ।*

प्रश्न: 1998 में आपके संस्थान का नाम क्या था?

उत्तर: Young Achievers

xxx xxx xxx

प्रश्न: आप वादी 'IMS Learning Resources Pvt Ltd' के बारे में कब से जानते हैं?

<u>उत्तर: मैंने 1993 में अपने स्नातक (graduation) के समय से ही एक छात्र के रूप में इसके बारे में सुना था।</u>

xxx xxx xxx"

(जोर दिया गया)

38. इस प्रकार, प्रतिवादी की उपरोक्त प्रति-परीक्षा (cross-examination) से यह साबित हो जाता है कि प्रतिवादी कम से कम **1993** से ही वादी के ट्रेडमार्क **'IMS'** से अवगत था।

39. प्रतिवादी की DW-1 के रूप में की गई प्रति-परीक्षा (cross-examination) से यह बात भी सामने आती है कि प्रतिवादी वर्ष 2007 से अपने संस्थान को "IMS Young Achievers Meerut" के नाम से बुला रहा है। इसके अलावा, प्रतिवादी ने स्वीकार किया है कि लोग प्रतिवादी के संस्थान को 'IMS' के रूप में पहचानते हैं। प्रतिवादी ने आगे यह भी स्वीकार किया है कि वह 'IMS' ट्रेडमार्क में किसी भी अधिकार का दावा नहीं करता है। 23 अक्टूबर, 2019 को DW-1 की प्रति-परीक्षा के प्रासंगिक अंश नीचे दिए गए हैं:

"xxx xxx xxx

<u>प्रश्न: 2007 से आप अपने संस्थान (establishment) को किस नाम से पुकारते रहे हैं?</u>

<u>उत्तर: हम इसे 'IMS Young Achievers, Meerut' के नाम से पुकारते रहे हैं, हालांकि लोग इसे 'IMS' के रूप में ही पहचानते हैं।</u>

<u>xxx xxx xxx</u>

<u>प्रश्न: क्या आप ट्रेडमार्क 'IMS' में किसी अधिकार का दावा करते हैं?</u>

<u>उत्तर: नहीं।</u>

xxx xxx xxx"

(जोर दिया गया)

40. अपनी प्रति-परीक्षा (cross-examination) के दौरान, प्रतिवादी गवाह (DW-1) ने यह भी स्वीकार किया कि विज्ञापन (प्रदर्श PW-1/4) का अर्थ यह था कि प्रतिवादी एक स्वतंत्र केंद्र था और उसका 'IMS' के साथ आगे कोई संबंध नहीं था। प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि विज्ञापन केवल मेरठ के छात्रों और अभिभावकों के मन में भ्रम को रोकने के लिए एक संदेश के रूप में प्रकाशित किया गया था। इस संबंध में 23 अक्टूबर, 2019 को DW-1 की प्रति-परीक्षा का अंश नीचे दिया गया है:

"xxx xxx xxx

<u>प्रश्न: वादी के दस्तावेज़ के पृष्ठ 385 पर एक विज्ञापन है। इस विज्ञापन का क्या अर्थ है?</u>

<u>उत्तर: इस विज्ञापन का अर्थ यह था कि हम एक स्वतंत्र केंद्र हैं और 'IMS' के साथ हमारा आगे कोई संबंध नहीं है। विशेष रूप से, हमने 'Test Funda' और 'Everonn' जैसे सामग्री भागीदारों (content partners) की मदद से अपना स्वयं का संचालन शुरू किया। यह संदेश मेरठ के छात्रों और अभिभावकों के मन में भ्रम</u>

<u>को रोकने के लिए महत्वपूर्ण था। यह विज्ञापन 'हिंदुस्तान टाइम्स' के साथ वितरित केवल 5000 प्रतियों तक सीमित था।</u>

xxx xxx xxx"

(जोर दिया गया)

41. प्रतिवादी ने यह भी स्वीकार किया कि वह इस बात से अवगत था कि वादी अपने केंद्र के लिए 'IMS' मार्क का उपयोग शुरू करने से पहले ही इस ट्रेडमार्क का उपयोग कर रहा था। इस संबंध में 1 फरवरी, 2023 की DW-1 की प्रति-परीक्षा का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

"xxx xxx xxx

<u>प्रश्न: क्या आप इस बात से अवगत हैं कि वादी आपके द्वारा 'IMS' मार्क का उपयोग शुरू करने से पहले से ही अपने 'IMS' ट्रेडमार्क का उपयोग कर रहा था?</u>

<u>उत्तर: मैं इस बात से अवगत था कि वादी 'IMS' ट्रेडमार्क का उपयोग कर रहा है।</u> *(स्वेच्छा से कहा: मैंने इसे एक अलग संदर्भ में उपयोग किया है क्योंकि मैंने ट्रेडमार्क के रूप में "IMS Young Achievers" का उपयोग किया है न कि केवल "IMS" का, और उसी "IMS" मार्क का उपयोग उद्योग में कई अन्य लोगों द्वारा भी किया गया है।)*

xxx xxx xxx"

(जोर दिया गया)

42. प्रतिवादी ने अपनी प्रति-परीक्षा के दौरान यह भी स्वीकार किया कि करार की अवधि के दौरान उसे वादी द्वारा 'IMS' ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए लाइसेंस दिया गया था। 1 फरवरी, 2023 की DW-1 की प्रति-परीक्षा का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

> *"xxx xxx xxx*
>
> ***प्रश्न: मैं आपके सामने यह बात रखता हूँ कि करार की अवधि के दौरान आपको वादी द्वारा 'IMS' ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए लाइसेंस दिया गया था?***
>
> ***उत्तर: हाँ, यह सही है।*** *(स्वेच्छा से कहा: प्रारंभिक करार 2007 से 2009 तक था, जिसके बाद वर्ष 2010 में करार के नवीनीकरण के समय नियम और शर्तें बदल दी गई थीं और उस करार को वादी द्वारा अचानक समाप्त कर दिया गया था।)*
>
> *xxx xxx xxx"*
>
> *(जोर दिया गया)*

43. प्रतिवादी ने आगे यह स्वीकार किया कि उसके ग्राहक उसके व्यवसाय को पहचानते हैं और उसकी पहचान "IMS Young Achievers" के नाम से बेहतर जानी जाती है। इस संबंध में 6 अप्रैल, 2023 की DW-1 की प्रति-परीक्षा का अंश नीचे दिया गया है:

> **"xxx xxx xxx**
>
> ***प्रश्न: क्या आपके ग्राहक आपके व्यवसाय को "Young Achievers" के रूप में पहचानते हैं?***

<u>उत्तर: मेरे ग्राहक मुझे मेरे व्यक्तिगत नाम 'लव जैन' से पहचानते हैं और चूंकि जब मैंने फ्रेंचाइजी ली थी तब मैंने "Young Achievers" को 'IMS' के पक्ष में छोड़ दिया था, इसलिए अब मेरी पहचान "IMS Young Achievers" के नाम से बेहतर जानी जाती है।</u>

xxx xxx xxx"

(जोर दिया गया)

44. प्रतिवादी, यानी DW-1 की प्रति-परीक्षा (cross-examination) के अवलोकन से स्पष्ट रूप से यह साबित होता है कि प्रतिवादी ने यह स्वीकार किया है कि 'IMS' मार्क वादी (plaintiff) का है और प्रतिवादी अपने छात्र जीवन से, यानी कम से कम 1993 से वादी के इस मार्क से अवगत था। यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने शुरुआत में 'IMS' मार्क का उपयोग इसलिए शुरू किया था क्योंकि वादी और प्रतिवादी के बीच हुए करार की शर्तों के अनुसार उसे उक्त मार्क का उपयोग करने के लिए लाइसेंस दिया गया था। इसलिए, वादी द्वारा करार की समाप्ति के बाद प्रतिवादी द्वारा 'IMS' मार्क का उपयोग, न तो ईमानदार (honest) माना जा सकता है और न ही सद्भावनापूर्ण (bonafide)।

45. प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षरित 01 फरवरी, 2011 का एग्जिट पेपर (एग्जिट पेपर - प्रदर्श PW-1/2) साबित हो चुका है, जिसमें प्रतिवादी ने स्वीकार किया था कि एग्जिट पेपर पर हस्ताक्षर करने की तारीख से, प्रतिवादी किसी भी रूप में 'IMS' ब्रांड का उपयोग करने का पात्र नहीं था। एग्जिट पेपर (प्रदर्श PW-

1/2) में, प्रतिवादी अपने व्यवसाय के लिए 'IMS' मार्क का उपयोग बंद करने के लिए सहमत हुआ था।

46. इस न्यायालय की खंडपीठ ने ***'मोर्गार्डशमर इंडिया लिमिटेड एवं अन्य बनाम मोर्गार्डशमर एबी, 2012 SCC OnLine Del 4945'*** के मामले में यह निर्धारित करते हुए कि एक बार लाइसेंस रद्द हो जाने के बाद, लाइसेंसधारी द्वारा ट्रेडमार्क और व्यापारिक नाम का कोई भी उपयोग 'उल्लंघन' माना जाएगा, इस प्रकार निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया गया है:

> *"xxx xxx xxx*
>
> 40. ***यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक बार लाइसेंस रद्द हो जाने के बाद, लाइसेंसधारी द्वारा ट्रेडमार्क और व्यापारिक नाम (trade name) का कोई भी उपयोग ट्रेडमार्क के उल्लंघन और मालिक के अधिकारों का हनन माना जाएगा। लाइसेंस रद्द होने पर, लाइसेंसधारी को मालिक के ट्रेडमार्क और व्यापारिक नाम का उपयोग करने से रोक दिया जाता है।*** *हम इस पहलू पर निम्नलिखित निर्णयों का संदर्भ देते हैं:–*
>
> *1. फेडर्स नॉर्थ अमेरिकन बनाम शो लाइन [2006 (32) PTC 573 (DEL) में प्रतिवेदित] इस मामले में यह निर्धारित किया गया कि 21 मई, 1956 के करार की समाप्ति के बाद, वादी ने 11 अक्टूबर, 1963 के करार के आधार पर प्रतिवादी संख्या 18 को "Fedders" ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए पांच साल की अवधि का अधिकार दिया था। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वर्ष 1968 में जब यह अवधि समाप्त हो गई, तो उसके बाद (1968 से आगे) प्रतिवादी संख्या 18 द्वारा "Fedders" ट्रेडमार्क का उपयोग करना, वादी के उन अधिकारों के अनुकूल नहीं था जो उसे उक्त ट्रेडमार्क के 'पंजीकृत स्वामी'*

*के रूप में प्राप्त थे। वेल्क्रो इंडस्ट्रीज बी.वी. बनाम वेल्क्रो इंडिया लिमिटेड [1993 (1) Arb.LR 465 में प्रतिवेदित] इस मामले के तथ्य वर्तमान केस के काफी हद तक समान थे। इस मामले में: वादी (वेल्क्रो इंडस्ट्रीज) ने भारतीय निदेशकों के साथ एक सहयोग करार किया था, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी (वेल्क्रो इंडिया लिमिटेड) अस्तित्व में आया। प्रतिवादी को एक लाइसेंस करार के माध्यम से ट्रेडमार्क लाइसेंस दिया गया था, जिसे बाद में नवीनीकृत (renew) किया गया और प्रतिवादी को "Velcro" शब्द को अपने 'व्यापारिक नाम' (Trade Name) के हिस्से के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई। नवीनीकृत करार भी 30 सितंबर, 1986 को समाप्त हो गया। इसके बाद वादी ने प्रतिवादी से वादी के मार्क का उपयोग बंद करने को कहा, जिसका अनुपालन नहीं किया गया। तदनुसार, वादी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया, जहाँ प्रतिवादी को भारत में उनके व्यापारिक नाम के रूप में "Velcro" मार्क का उपयोग करने से रोक (restrain) दिया गया। न्यायालय का निष्कर्ष: **यह माना गया कि लाइसेंस समाप्त होने के बाद, प्रतिवादीगण के पास उस मार्क को अपने कॉर्पोरेट नाम या व्यापारिक नाम के रूप में उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है।***

*(ख) 'रोब मैथिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सिंथेस एजी चुर, 1997 (17) PTC 669 (DB में प्रतिवेदित)' के मामले में, इस न्यायालय ने 'पावर कंट्रोल एप्लायंसेज बनाम सुमीत मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड, 1994 (2) SC 17 में प्रतिवेदित' में उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा कि: **"ट्रेडमार्क से संबंधित कानून का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी मार्क का केवल एक ही स्रोत (source) और एक ही मालिक (proprietor) हो सकता है। एक ही ट्रेडमार्क के दो अलग-अलग मूल या उद्गम (origins) नहीं हो सकते। यह निर्धारित किया गया कि मुकदमेबाजी में शामिल पक्षकारगण के बीच सहयोग करार (collaboration agreement) समाप्त होने के बाद, अपीलार्थी (जो ट्रेडमार्क का***

<u>मालिक नहीं था), करार के रद्द होने के बाद "Synthes" शब्द या ट्रेडमार्क "AO/ASIF" का उपयोग नहीं कर सकता था।</u>

(ग) जे.के. जैन बनाम ज़िफ डेविस, जो 2000 PTC 244 (DB) में प्रतिवेदित है, ***<u>के मामले में खंडपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक पूर्व लाइसेंसधारी, जिसने लाइसेंसदाता के साथ हुए करार का लाभ उठाया है, पक्षकारगण के बीच करार की समाप्ति के बाद लाइसेंसदाता द्वारा व्यादेश के आवेदन का विरोध करने से विबंधित (estopped) है।</u>***

(घ) बेकर ह्यूग्स लिमिटेड बनाम हीरू खुशालानी (1998 PTC (18) 580 में प्रतिवेदित) मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:–

"एक सहयोग करार के तहत मार्क का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें यह शर्त थी कि संयुक्त उद्यम कंपनी (joint venture company) तब तक सहयोगी कंपनी के नाम का उपयोग करने की हकदार होगी जब तक कि उसकी शेयरधारिता (share holding) 40% से नीचे नहीं गिर जाती - ***<u>इक्विटी शेयरों के 40% से नीचे गिरने के बाद भी मार्क का उपयोग करना - अनुचित (Improper) है - अंतरिम व्यादेश (Interim injunction) स्वीकार की गई।"</u>***

xxx xxx xxx"

(जोर दिया गया)

47. यह एक स्वीकृत स्थिति (admitted position) है कि प्रतिवादी ने वादी से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही स्वयं को 'IMS' कहना शुरू किया था। प्रतिवादी ने यह स्वीकार किया है कि 2007 के बाद, लोगों ने प्रतिवादी को 'IMS' के रूप में पहचानना शुरू कर दिया था। यह भी एक स्वीकृत स्थिति है

कि वर्ष 2010 में, वादी द्वारा प्रतिवादी के लाइसेंस का नवीनीकरण (renew) किया गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपना लाइसेंस समाप्त होने के बाद, प्रतिवादी ने "IMS Young Achievers" मार्क को केवल इसलिए अपनाया ताकि वह वादी की साख (goodwill) और प्रतिष्ठा का अनुचित लाभ (free ride) उठा सके।

48. अभिलेख पर मौजूद दस्तावेज़ों और साक्ष्यों से यह साबित होता है कि वादी और प्रतिवादी के बीच व्यावसायिक साझेदारी 01 फरवरी, 2011 के एग्जिट पेपर (Exit Paper) के आधार पर समाप्त हो गई थी। एग्जिट पेपर की शर्तों के अनुसार, प्रतिवादी के लिए 'IMS' मार्क का उपयोग बंद करना अनिवार्य था। इसके बजाय, प्रतिवादी ने समाचार पत्र में एक विज्ञापन जारी किया जिसमें प्रतिवादी संस्थान को "IMS Young Achievers" कहा गया। ऐसा करके प्रतिवादी ने वादी के मार्क को पूरी तरह से अपना लिया, जिससे छात्रों को यह विश्वास दिलाकर भ्रमित किया गया कि फ्रेंचाइजी समाप्त होने के बाद भी वादी के साथ उसका जुड़ाव या संबद्धता (association/affiliation) बनी हुई है।

49. इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी द्वारा जारी विज्ञापन (प्रदर्श PW-1/4) में 'एवरॉन' (Everon) और 'टेस्ट फंडा' (Test Funda) को प्रतिवादी के भागीदारों (partners) के रूप में भी दर्शाया गया है, जबकि प्रतिवादी के साथ उनका कोई व्यावसायिक संबंध नहीं था।यह तथ्य वादी द्वारा 21 अप्रैल, 2011 को 'एवरॉन एजुकेशन लिमिटेड' और 'इनेबिलोन लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड' (टेस्ट फंडा) को

लिखे गए ईमेल (प्रदर्श PW-1/27) से साबित होता है, जिसमें उन्हें प्रतिवादी के विज्ञापन के बारे में सूचित किया गया था। साथ ही, उनके उत्तर और प्रदर्श PW-1/28 यह पुष्टि करते हैं कि प्रतिवादी के साथ उनका कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है।

50. अभिलेख पर मौजूद दस्तावेज़ और साक्ष्य यह भी साबित करते हैं कि 'IMS' वादी का ब्रांड है और प्रतिवादी को वादी की अनुमति के बिना 'IMS' ब्रांड का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। प्रतिवादी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वह वादी का लाइसेंसधारी (licensee) था और उसे 2007 से 2010 तक वादी के साथ किए गए लाइसेंस की शर्तों के तहत वादी के 'IMS' मार्क का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी (प्रदर्श D1 और D2)। 'IMS' मार्क पर प्रतिवादी का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था।

51. यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने स्वयं को "IMS Young Achievers Learning Centre" कहना शुरू कर दिया, जो वादी के व्यापारिक नाम यानी "IMS Learning Resources Pvt. Ltd." के बहुत समान है। स्पष्ट रूप से, प्रतिवादी को 'IMS' मार्क का उपयोग करने के लिए दिया गया लाइसेंस समाप्त होने के बाद भी, प्रतिवादी ने इसका उपयोग जारी रखा। प्रतिवादी ने एक समाचार पत्र में प्रकाशन (प्रदर्श PW-1/4) जारी किया, जिसमें यह दावा किया गया कि 'IMS' ट्रेडमार्क की अब एक नई छवि है और यह प्रतिवादी के स्वतंत्र नेतृत्व में चल रहा है। वादी (यहाँ संदर्भ प्रतिवादी से है) ने इस शब्दावली का

उपयोग किया कि "पुराना IMS अब श्री लव जैन के नेतृत्व में नई छवि के साथ अधिक जीवंत और अधिक प्रभावी है।" प्रतिवादी ने उक्त समाचार पत्र विज्ञापन (प्रदर्श PW-1/4) के नीचे भी वादी के ट्रेडमार्क 'IMS' का उपयोग करते हुए "IMS Young Achievers Learning Centre" लिखा।

52. इस प्रकार, यह प्रत्यक्ष है कि प्रतिवादी को 'IMS' मार्क का उपयोग करने के लिए दिया गया लाइसेंस समाप्त होने के बाद भी, प्रतिवादी ने इसका उपयोग जारी रखा। समाचार पत्र के विज्ञापन की शब्दावली यह स्पष्ट करती है कि प्रतिवादी वादी के 'IMS' मार्क के साथ अपना संबंध (association) बनाने और वादी के मार्क की साख (goodwill) एवं प्रतिष्ठा का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास कर रहा था।

53. इसके अतिरिक्त, 27 अप्रैल, 2011 को प्रतिवादी ने वादी के व्यावसायिक भागीदारों को एक ईमेल भेजा (प्रदर्श PW-1/29), जिसमें उसने यह स्वीकार किया कि वह अब वादी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है और वादी के 'IMS' ट्रेडमार्क का एक नए रूप में उपयोग कर रहा है।

54. जैसा कि 07 मार्च, 2013 के आदेश में उल्लेख किया गया है, प्रतिवादी ने यह स्वीकार किया कि 'IMS' मार्क के लिए ट्रेडमार्क आवेदन प्रतिवादी द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित व्यादेश आदेशों के बाद दायर किया गया था, और उसने स्वेच्छा से "IMS Young Achievers" मार्क के लिए ट्रेडमार्क आवेदन संख्या 2220757 को वापस लेने की पेशकश की।

55. 01 फरवरी, 2023 की अपनी प्रति-परीक्षा (cross-examination) में, प्रतिवादी ने कहा है कि अपने छात्रों और अभिभावकों के सामने अपनी छवि सुरक्षित रखने के लिए, उसने 01 अप्रैल, 2010 के लाइसेंस करार की समाप्ति के बाद "IMS Young Achievers" मार्क का उपयोग करना शुरू किया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसमें उसके पिछले समय की पहचान शामिल थी, यानी 2007-2010 की अवधि, जब प्रतिवादी ने वादी के फ्रेंचाइजी के रूप में अपना व्यवसाय चलाया था, और वर्तमान समय की भी। इसलिए, प्रतिवादी की यह स्वीकारोक्ति (admission) इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देती है कि उसके द्वारा 'IMS' का उपयोग जारी रखने का एकमात्र कारण वादी (IMS) के साथ अपना संबंध और संबद्धता (association and affiliation) प्रदर्शित करना था।

56. इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी ने 06 अप्रैल, 2023 की अपनी प्रति-परीक्षा (cross-examination) के दौरान स्वीकार किया है कि उसकी पहचान "IMS Young Achievers" के रूप में बेहतर जानी जाती है। उसने आगे यह भी स्वीकार किया है कि वह "Young Achievers" पर किसी अधिकार का दावा नहीं करता है और यह उसका ट्रेडमार्क नहीं है। इसलिए, स्पष्ट रूप से, प्रतिवादी के मार्क यानी "IMS Young Achievers" का मुख्य हिस्सा (dominant part) 'IMS' ही बना रहता है। औसत बुद्धिमत्ता और कमजोर याददाश्त वाला एक

सामान्य उपभोक्ता निश्चित रूप से प्रतिवादी के मार्क को वादी के साथ ही जोड़ेगा। यह संभावना और भी प्रबल हो जाती है क्योंकि वादी और प्रतिवादी के बीच पिछला जुड़ाव रहा है, और मेरठ के छात्र व अभिभावक वादी और प्रतिवादी के बीच के उस व्यावसायिक संबंध से अवगत हैं।

57. वादी और प्रतिवादी के ट्रेडमार्क की एक चित्रात्मक तुलना निम्ननानुसार प्रस्तुत की जाती है:

वादी का ट्रेडमार्क

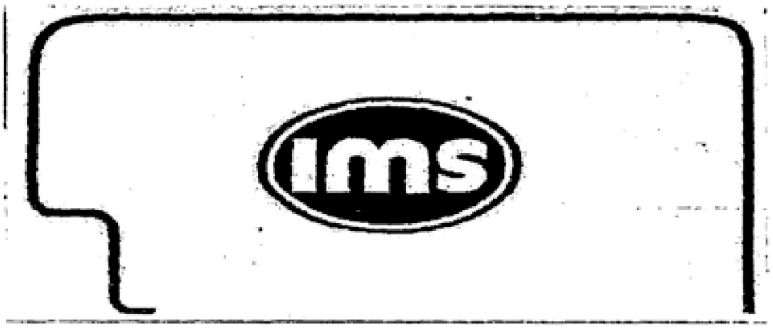

प्रतिवादी का ट्रेडमार्क

58. उपरोक्त तुलना यह दर्शाती है कि प्रतिवादी ने वादी के 'IMS' मार्क के साथ केवल एक प्रत्यय जोड़कर उसे पूरी तरह से अपने मार्क में समाहित कर लिया है। स्पष्ट रूप से, प्रतिवादी के मार्क "IMS Young Achievers" का प्रमुख हिस्सा 'IMS' ही बना हुआ है। प्रतिवादी जिस "IMS Young Achievers" मार्क का उपयोग कर रहा है, वह वादी के 'IMS' मार्क के समान है जिससे भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है। जैसा कि कई न्यायिक निर्णयों (catena of judgments) में निर्धारित किया गया है, इस मुद्दे को औसत बुद्धिमत्ता और कमजोर याददाश्त वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। वस्तुओं/सेवाओं के एक ही विवरण के संबंध में दोनों नामों के बीच समग्र समानता को देखते हुए, इससे धोखा या भ्रम उत्पन्न होने की पूरी संभावना है।"

59. इस प्रकार, कोई ट्रेडमार्क कब धोखा देने या भ्रम पैदा करने की संभावना रखता है, इस मुद्दे की व्याख्या करते हुए, ***अमृतधारा फार्मेसी बनाम सत्य देव गुप्ता, 1962 SCC OnLine SC 13*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> *"xxx xxx xxx*
>
> *6. "यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धाराओं में प्रयुक्त शब्द, जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं, 'धोखा देने या भ्रम पैदा करने की संभावना' हैं। अधिनियम यह निर्धारित करने के लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं बताता कि क्या चीज़ धोखा देने या भ्रम पैदा करने की संभावना रखती है। इसलिए, प्रत्येक मामला*

*अपने स्वयं के विशेष तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए, और मिसालों का महत्व वास्तविक निर्णय में उतना नहीं है जितना कि उन परीक्षणों में है, जिन्हें यह निर्धारित करने के लिए लागू किया गया है कि क्या चीज़ धोखा देने या भ्रम पैदा करने की संभावना रखती है। पंजीकरण के आवेदन पर, रजिस्ट्रार या कोई विपक्षी इस आधार पर आपत्ति कर सकता है कि ट्रेडमार्क धारा 8 के खंड (क) या धारा 10 की उप-धारा (I) के कारण पंजीकरण योग्य नहीं है, जैसा कि इस मामले में है। ऐसे मामले में, रजिस्ट्रार को यह संतुष्ट करने की जिम्मेदारी (onus) आवेदक पर होती है कि जिस ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया गया है, उससे धोखा देने या भ्रम पैदा करने की संभावना नहीं है। जिन मामलों में अधिकरण को लगता है कि धोखा होने की संभावना के संबंध में संदेह है, वहां आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। **एक ट्रेडमार्क अपने किसी अन्य पूर्व-पंजीकृत मार्क से समानता के कारण तब 'धोखा देने या भ्रम पैदा करने वाला' माना जाता है, यदि वह उस बाजार में अपने वैध उपयोग के दौरान ऐसा करने की क्षमता रखता हो, जहाँ दोनों मार्क्स का उपयोग व्यापारियों द्वारा किया जाना माना जाता है।** मामले पर विचार करते समय, मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। जैसा कि न्यायमूर्ति पार्कर द्वारा 'पियानोटिस्ट कंपनी एप्लीकेशन [(1906) 23 RPC 774]' में कहा गया था, जो कि दो शब्दों की तुलना का ही एक मामला था।"*

"आपको दोनों शब्दों को लेना होगा। आपको उनके रूप (दृश्य) और उनकी ध्वनि (उच्चारण), दोनों के आधार पर उनका मूल्यांकन करना होगा। आपको उन वस्तुओं (माल) पर विचार करना होगा जिन पर उन्हें लागू किया जाना है। आपको उस ग्राहक की प्रकृति और प्रकार पर विचार करना होगा जो उन वस्तुओं को खरीदने की संभावना रखता है। वास्तव में, आपको सभी आसपास की परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए; और आपको आगे यह भी देखना चाहिए कि क्या होने की संभावना है

<u>यदि उनमें से प्रत्येक ट्रेडमार्क का उपयोग उनके संबंधित स्वामियों द्वारा उन वस्तुओं के लिए एक सामान्य ट्रेडमार्क के रूप में किया जाता है।"</u> *(पृष्ठ 777)*

"भ्रामक समानता के लिए दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं: वे कौन व्यक्ति हैं जिन्हें उस समानता द्वारा धोखा दिए जाने या भ्रमित होने की संभावना है, और यह निर्णय लेने के लिए कि क्या ऐसी समानता मौजूद है, तुलना के कौन से नियम अपनाए जाने चाहिए। जहाँ तक 'भ्रम' का प्रश्न है, यह संभवतः एक ग्राहक की उस मानसिक स्थिति का उपयुक्त वर्णन है, जो किसी मार्क (मार्क) को देखकर यह सोचता है कि यह उस मार्क से भिन्न है जिसे उसने पहले कभी खरीदा था, लेकिन वह इस बात को लेकर दुविधा में है कि क्या यह प्रभाव उसकी कमजोर याददाश्त के कारण तो नहीं है।" (संदर्भ: कर्ली ऑन ट्रेड मार्क्स, 8वां संस्करण, पृष्ठ 400)

xxx xxx xxx"

(जोर दिया गया)

60. "प्रतिवादी व्यापार के दौरान 'IMS' मार्क का उपयोग कर रहा है, जो वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क 'IMS' के पूर्णतः समान है। प्रतिवादी द्वारा 'IMS' मार्क के उपयोग के तरीके को जनता द्वारा इस प्रकार समझा जाएगा जैसे कि यह उपयोग स्वयं वादी द्वारा किया जा रहा है। यह उपभोक्ताओं के मन में निश्चित रूप से वादी के साथ एक संबंध और संबद्धता (Association and Affiliation) पैदा करेगा।

61. यह मानते हुए कि क्या दो चिह्नों से भ्रम उत्पन्न होने की संभावना है या नहीं, यह एक 'पहली नजर' (first impression) का प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने ***'कॉर्न प्रोडक्ट्स रिफाइनिंग कंपनी बनाम शांगरीला फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड' (1959 SCC OnLine SC 11)*** के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है

> *"xxx xxx xxx*
>
> *18. हमारा मानना है कि न्यायमूर्ति देसाई द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण सही है। **<u>यह सर्वविदित है कि यह प्रश्न कि क्या दो मार्क्स से भ्रम पैदा होने की संभावना है या नहीं, 'पहली नज़र के प्रभाव' का प्रश्न है। यह निर्णय करना न्यायालय का काम है।</u>** अंग्रेज़ों द्वारा अंग्रेज़ी शब्दों के उच्चारण के तरीके पर आधारित अंग्रेज़ी मामले, हमारे देश में ध्वन्यात्मक समानता के प्रश्नों का निर्णय करने में अधिक सहायक नहीं हो सकते। इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि वह शब्द एक अंग्रेज़ी शब्द है, जो भारत की आम जनता के लिए एक विदेशी शब्द है। **<u>यह भली-भांति मान्यता प्राप्त है कि दो मार्क्स के बीच समानता का निर्णय करते समय, मार्क्स को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए।</u>** ऐसा करने पर, हम न्यायमूर्ति देसाई से सहमत हैं कि इस मामले से संबंधित मार्क्स समान हैं। अपीलार्थी के मार्क में 'co' शब्दांश के अलावा, दोनों मार्क्स एक समान (identical) हैं। हमारी राय में वह शब्दांश ऐसा नहीं है जो हमारे देश के खरीदारों को एक मार्क को दूसरे से अलग करने में सक्षम बनाए।*
>
> *xxx xxx xxx"*
>
> (जोर दिया गया)

62. वर्तमान मामले में, यह प्रत्यक्ष है कि 'IMS' मार्क, प्रतिवादी के ट्रेडमार्क 'IMS Young Achievers' की एक अनिवार्य और प्रमुख विशेषता है। अतः, यह देखते हुए कि प्रतिवादी के मार्क की अनिवार्य विशेषता 'IMS' है, जो कि वादी का पंजीकृत ट्रेडमार्क भी है, यह निस्संदेह साबित होता है कि यह वादी के ट्रेडमार्क 'IMS' के उल्लंघन का एक स्पष्ट मामला है। यह स्थापित कानून है कि उल्लंघन के मामलों में, यदि वादी के ट्रेडमार्क की अनिवार्य विशेषताओं को प्रतिवादी द्वारा अपना लिया गया है, तो यह तथ्य कि प्रतिवादी अपने सामान या पैकेटों की सजावट (get up), पैकेजिंग और लिखावट या चिह्नों में महत्वपूर्ण अंतर दिखाता है, अप्रासंगिक (immaterial) होगा। इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय ने ***कविराज पंडित दुर्गा दत्त शर्मा बनाम नवरत्न फार्मास्युटिकल लैबोरेटरीज, 1964 SCC OnLine SC 14*** के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:"

> *"xxx xxx xxx*
>
> *28. आपत्ति का दूसरा आधार कि निष्कर्ष असंगत हैं, वास्तव में 'किसी दूसरे का रूप देना' और 'पंजीकृत ट्रेडमार्क के उल्लंघन' के मुकदमों में वाद-हेतुक और राहत के अधिकार के बीच के बुनियादी अंतर को समझने की गलती से उपजा है... हमने पहले ही बताया है कि प्रत्यर्थी द्वारा दायर मुकदमे में पंजीकृत ट्रेडमार्क के संबंध में धारा 21 के तहत वैधानिक अधिकार के हनन और उसी मार्क के उपयोग द्वारा 'किसी दूसरे का रूप देना', दोनों की शिकायत की गई थी। अपीलार्थी के पक्ष में जो निष्कर्ष दिया गया... वह उन पैकेटों की पैकिंग की असमानता पर आधारित था जिनमें दोनों पक्षकारगण का माल बेचा जाता*

*था; रंग और अन्य विशेषताओं में भिन्नता के कारण दोनों पैकेटों की भौतिक बनावट और उनकी सामान्य सजावट (get-up) अलग थी; साथ ही अपीलार्थी के कारखाने का नाम और पता उसके पैकेटों पर प्रमुखता से प्रदर्शित था। इन सभी विशेषताओं का उपयोग प्रत्यर्थी के इस दावे को नकारने के लिए किया गया था कि अपीलार्थी ने अपना माल प्रत्यर्थी के माल के रूप में बेचा (Passed off) था। ये मामले, जो 'किसी दूसरे का रूप देना' के आधार पर राहत पाने के लिए कार्रवाई के सार (essence) हैं, एक पंजीकृत ट्रेडमार्क के उल्लंघन की कार्रवाई में बहुत ही सीमित भूमिका निभाते हैं... जहाँ 'किसी दूसरे का रूप देना' की कार्रवाई एक 'कॉमन लॉ' उपचार है, जो मूल रूप से धोखे के खिलाफ कार्रवाई है–यानी एक व्यक्ति द्वारा अपने माल को दूसरे के माल के रूप में बेचना–वहीं उल्लंघन की कार्रवाई का सार यह नहीं है। उल्लंघन की कार्रवाई एक वैधानिक उपचार है, जो पंजीकृत ट्रेडमार्क के स्वामी को उन वस्तुओं के संबंध में उस ट्रेडमार्क के उपयोग के 'अनन्य अधिकार' की रक्षा के लिए प्रदान किया गया है (देखें अधिनियम की धारा 21)। 'किसी दूसरे का रूप देना' की कार्रवाई में प्रतिवादी द्वारा वादी के ट्रेडमार्क का उपयोग करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उल्लंघन की कार्रवाई के मामले में यह अपरिहार्य शर्त (sine qua non) है। निस्संदेह, जहाँ 'किसी दूसरे का रूप देना' के संबंध में साक्ष्य केवल एक पंजीकृत ट्रेडमार्क के भ्रामक उपयोग तक सीमित हैं, वहाँ दोनों कार्रवाइयों की अनिवार्य विशेषताएं एक जैसी हो सकती हैं... लेकिन इसके बाद दोनों के बीच समानता समाप्त हो जाती है। **उल्लंघन की कार्रवाई में, वादी को यह साबित करना होगा कि प्रतिवादी के मार्क का उपयोग धोखा देने की संभावना रखता है। लेकिन जहाँ वादी और प्रतिवादी के मार्क के बीच समानता इतनी अधिक है–चाहे वह दृश्य (visually) हो, ध्वनि (phonetically) के आधार पर हो या अन्यथा–कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यह एक नकल (imitation) है, तो वादी के अधिकारों के उल्लंघन को साबित करने के लिए किसी और***

<u>साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में, यदि प्रतिवादी द्वारा वादी के ट्रेडमार्क की 'अनिवार्य विशेषताओं' को अपना लिया गया है, तो यह तथ्य कि उसकी सजावट (get-up), पैकिंग और अन्य लिखावट या चिह्नों में स्पष्ट अंतर है... पूरी तरह से अप्रासंगिक होगा;</u> *जबकि 'किसी दूसरे का रूप देना' के मामले में, प्रतिवादी दायित्व से बच सकता है यदि वह यह दिखा सके कि जोड़ी गई अतिरिक्त सामग्री उसके माल को वादी के माल से अलग करने के लिए पर्याप्त है।*

xxx xxx xxx"

(जोर दिया गया)

63. यह देखा जाना चाहिए कि वादी का पंजीकृत मार्क 'IMS', प्रतिवादी के ट्रेडमार्क 'IMS Young Achievers' का प्रमुख और स्पष्ट हिस्सा है। आक्षेपित मार्क (impugned mark) और वादी के मार्क के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएँ एक समान हैं। व्यापारिक माध्यम (trading channels) भी एक समान हैं। अतः, प्रतिवादी द्वारा आक्षेपित मार्क का उपयोग, ट्रेडमार्क के उल्लंघन और किसी दूसरे का रूप देना (passing off) की श्रेणी में आता है।"

64. ट्रेडमार्क मामलों में उल्लंघन का निर्धारण करने के लिए परीक्षण निर्धारित करते समय, इस न्यायालय की खंड पीठ ने ***पंकज गौयल बनाम डाबर इंडिया लिमिटेड, 2008 SCC OnLine Del 1744*** के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है।

"xxx xxx xxx

18. उच्चतम न्यायालय ने ऊपर संदर्भित 'अमृतधारा फार्मेसी' के मामले में, 'AMRITDHARA' मार्क को 'LAXMANDHARA'

मार्क के भ्रामक रूप से समान माना था। उक्त निर्णय में शीर्ष न्यायालय ने आगे यह निर्धारित किया कि इस मुद्दे की जांच 'औसत बुद्धिमत्ता और कमजोर याददाश्त वाले एक असावधान खरीदार' के परीक्षण को लागू करके की जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने उक्त मामले में यह माना कि भले ही दोनों नामों की सूक्ष्म तुलना करने पर कुछ अंतर दिखाई दे सकते हैं, फिर भी औसत बुद्धिमत्ता और कमजोर याददाश्त वाला एक असावधान खरीदार दोनों उत्पादों की समग्र समानता से धोखा खा जाएगा।"

19. हम वर्तमान मामले में पाते हैं कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी/वादी के मार्क न केवल समान हैं, बल्कि उनके उत्पाद भी एक जैसे (identical) हैं और ग्राहकों के एक ही वर्ग द्वारा खरीदे जाते हैं, तथा उक्त सामान एक ही व्यापारिक माध्यम से बेचे जाते हैं। हमारी राय में, कारकों का यह त्रित्व (trinity of factors) भ्रम पैदा करने और फलस्वरूप 'किसी दूसरे का रूप देना' (passing off) का मामला बनाता है। अपीलार्थी द्वारा बाद में एक समान मार्क को अपनाना प्रथम दृष्टया बेईमानी प्रतीत होता है और उसका कितना भी उपयोग इसे ठीक नहीं कर सकता। यदि इस न्यायालय द्वारा दी गई व्यादेश को जारी नहीं रखा जाता है, तो अपीलार्थी द्वारा उसी मार्क का उपयोग बड़े पैमाने पर जनता को धोखा देने की संभावना रखता है।

20. *बी.के. इंजीनियरिंग कंप्लेंट बनाम यू.बी.एच.आई. एंटरप्राइजेज (पंजीकृत), AIR 1985 Del 210 : (1986) 5 PTC 1 (Del) (DB) मामले में, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने यह माना है कि* ***व्यापार न केवल ईमानदार होना चाहिए, बल्कि अनजाने में भी अनुचित नहीं होना चाहिए।*** *लक्ष्मीकांत वी. पटेल बनाम चेतन भाई शाह, (2002) 24 PTC 1 (SC) मामले में, शीर्ष न्यायालय ने यह माना है कि जहाँ व्यापार में संभावना भी हो, वहाँ व्यादेश जारी की जाएगी, भले ही प्रतिवादीगण ने वह नाम अनजाने में ही क्यों न अपनाया हो।*

xxx xxx xxx"

(जोर दिया गया)

65. प्रतिवादी समान सेवाओं, यानी शैक्षिक और कोचिंग सेवाओं के संबंध में, अपने व्यापारिक नाम 'IMS Young Achievers Learning Centre' के एक हिस्से के रूप में ट्रेडमार्क 'IMS' का उपयोग कर रहा है। इस प्रकार, व्यापारिक नाम के हिस्से के रूप में किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क का कोई भी उपयोग, उल्लंघन की श्रेणी में आएगा।"

66. इसके अलावा, प्रतिवादी ने समाचार पत्र में विज्ञापन (प्रदर्श PW-1/4) दिया है, और अपनी प्रति-परीक्षा (cross-examination) में स्वीकार किया है कि यह विज्ञापन समाचार पत्र की 5000 प्रतियों में प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने ईमानदार प्रथाओं के विपरीत, ट्रेडमार्क 'IMS' की साख (goodwill) और प्रतिष्ठा का अनुचित लाभ उठाया है। इसके अतिरिक्त, समाचार पत्र में ब्रांड (IMS) को काटकर (crossing out) ट्रेडमार्क 'IMS' को बदनाम करने वाला प्रतिवादी का आचरण यह दर्शाता है कि ऐसा कृत्य ट्रेडमार्क 'IMS' के विशिष्ट चरित्र के लिए हानिकारक और उसकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। अतः, यह व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 29(8) के अर्थ के भीतर उल्लंघन का मामला बनता है।"

67. प्रतिवादी का यह तर्क कि आक्षेपित मार्क (impugned mark) के अपने उपयोग को उचित ठहराने के लिए, वादी की प्रतिवादी के साथ करार से पहले

मेरठ में कोई उपस्थिति नहीं थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी द्वारा आक्षेपित मार्क को अपनाया जाना न तो ईमानदार है और न ही नेकनीयती (bonafide) पर आधारित है। यह साबित हो चुका है कि प्रतिवादी ने आक्षेपित मार्क को केवल वादी द्वारा लाइसेंस करार की समाप्ति के बाद ही अपनाया था। इसके अलावा, प्रतिवादी ने अपनी प्रति-परीक्षा (cross-examination) के दौरान 'IMS' मार्क में वादी के स्वामित्व अधिकारों को पहले ही स्वीकार कर लिया है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी का आचरण बेईमानी भरा होने के साथ-साथ 'अनुचित व्यापार प्रथाओं' की श्रेणी में आता है, क्योंकि प्रतिवादी ने इस न्यायालय द्वारा 19 सितंबर, 2011 को पारित व्यादेश (injunction) आदेश के बावजूद आक्षेपित मार्क का उपयोग जारी रखा। इसके अलावा, प्रतिवादी ने इस न्यायालय द्वारा व्यादेश दिए जाने के बाद भी आक्षेपित मार्क के पंजीकरण के लिए ट्रेडमार्क आवेदन संख्या 2220757 दायर किया।"

68. इस बात को रेखांकित करते हुए कि व्यापार की दुनिया में ईमानदारी और 'फेयर प्ले' (न्यायोचित व्यवहार) बुनियादी गुण होने चाहिए, और किसी ऐसे मार्क (मार्क) को अपनाना जो पहले से ही किसी और का है, दूसरों के ग्राहकों और क्लाइंट्स को अपनी ओर मोड़ने की प्रवृत्ति रखता है, जिसके परिणामस्वरूप (मूल स्वामी को) क्षति पहुँचती है; ***लक्ष्मीकांत वी. पटेल बनाम***

चेतनभाई शाह और अन्य, 2001 SCC OnLine SC 1416 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है।

> *"xxx xxx xxx*
>
> *8. "व्यापार और व्यवसाय में यह सामान्य बात है कि एक व्यापारी या व्यवसायी एक नाम और/या मार्क अपनाता है जिसके तहत वह अपना व्यापार या व्यवसाय चलाता है। कर्ली (Kerly) (लॉ ऑफ ट्रेड मार्क्स एंड ट्रेड नेम्स, 12वां संस्करण, पैरा 16.49) के अनुसार, वह नाम जिसके तहत एक व्यवसाय व्यापार करता है, लगभग हमेशा एक 'ट्रेडमार्क' होगा (या यदि व्यवसाय सेवाएँ प्रदान करता है, तो एक 'सर्विस मार्क', या दोनों)। ट्रेडमार्क या सर्विस मार्क के प्रश्नों से स्वतंत्र होकर भी, किसी व्यवसाय के नाम (चाहे वह व्यापारिक व्यवसाय हो या कोई अन्य) के साथ सामान्यतः एक 'साख' जुड़ी होती है, जिसकी न्यायालय रक्षा करेंगे। **'किसी दूसरे का रूप देने' की कार्रवाई तब की जा सकती है जब भी प्रतिवादी कंपनी का नाम, या उसका प्रस्तावित नाम, धोखा देने के लिए बनाया गया हो, और इस तरह वादी के व्यवसाय को अपनी ओर मोड़ने, या दोनों व्यवसायों के बीच भ्रम पैदा करने का कारण बने। यदि यह (भ्रम या धोखा) सिद्ध नहीं होता है, तो कोई मामला नहीं बनता। इसका आधार केवल कार्यवाही की तारीख तक सीमित नहीं होना चाहिए; न्यायालय इस बात पर ध्यान देगा कि भविष्य में व्यवसाय किस तरह से चलाया जा सकता है, और इस बात पर भी कि वह ठीक उसी तरह से नहीं चलाया जा रहा है जैसा कि कार्यवाही की तारीख पर चलाया जा रहा था। जहाँ व्यवसाय में भ्रम की संभावना हो, वहाँ व्यादेश (Injunction) प्रदान की जाएगी, भले ही प्रतिवादीगण ने वह नाम अनजाने में ही क्यों न अपनाया हो।***
>
> *xxx xxx xxx*

10 . कोई व्यक्ति अपने माल को बेच सकता है या अपनी सेवाएँ (जैसे कि किसी पेशे के मामले में) किसी व्यापारिक नाम या शैली के तहत प्रदान कर सकता है। समय बीतने के साथ, किसी व्यक्ति से जुड़े ऐसे व्यवसाय या सेवाएँ एक प्रतिष्ठा या 'साख' (goodwill) अर्जित कर लेती हैं, जो एक ऐसी संपत्ति बन जाती है जिसकी रक्षा न्यायालयों द्वारा की जाती है। यदि कोई प्रतिस्पर्धी उसी नाम से, या उस नाम की नकल करके, वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री शुरू करता है, तो इससे उस व्यक्ति के व्यवसाय को क्षति पहुँचती है जिसका उस नाम पर स्वामित्व है। कानून किसी भी व्यक्ति को अपना व्यवसाय इस प्रकार से चलाने की अनुमति नहीं देता, जिससे ग्राहक या क्लाइंट्स को यह विश्वास हो जाए कि किसी अन्य व्यक्ति का सामान या सेवाएँ उसकी हैं, अथवा उससे जुड़ी हुई हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाद वाला व्यक्ति ऐसा धोखाधड़ी से करता है या अन्यथा। इसके दो कारण हैं। पहला, ईमानदारी और निष्पक्षता व्यापार की दुनिया में बुनियादी नीतियाँ हैं–और होनी भी चाहिए। दूसरा यह कि, जब कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय या सेवाओं के संबंध में कोई ऐसा नाम अपनाता है–या अपनाने का इरादा रखता है–जो पहले से ही किसी और का है, तो इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है और साथ ही, इसमें यह प्रवृत्ति भी होती है कि यह किसी अन्य व्यक्ति के ग्राहकों और क्लाइंट्स को अपनी ओर खींच ले, जिसके परिणामस्वरूप उस व्यक्ति को नुकसान पहुँचता है।

xxx xxx xxx"

(जोर दिया गया)

69. यह न्यायालय यह नोट करता है कि प्रतिवादी द्वारा आक्षेपित मार्क 'IMS' का उपयोग वादी द्वारा अर्जित साख (goodwill) और प्रतिष्ठा के विपरीत होगा और इस तरह के उपयोग से पूरी संभावना है कि भ्रम और धोखा पैदा होगा। अतः, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि 'किसी दूसरे का रूप देना' की

कार्रवाई तब बनती है जब प्रतिवादी अपने व्यवसाय को वादी के व्यवसाय के रूप में या उससे जुड़े हुए के रूप में प्रस्तुत करता है; इस न्यायालय की एक खंडपीठ (Division Bench) ने ***बी.के. इंजीनियरिंग कंपनी बनाम यूबीएचआई एंटरप्राइजेज (पंजीकृत) एवं अन्य***, *1984 SCC OnLine Del 288* के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

> *"XXX XXX XXX*
>
> ***34. "बी.के,' वादी का निर्माता मार्क (manufacturer's mark) है। इसे जनता द्वारा देखा जाता है। एक 'गतिविधि के समान क्षेत्र' में, यदि प्रतिवादीगण को अपने उत्पाद को 'बी.के-81' मार्क के तहत बेचने की अनुमति दी जाती है, तो इससे भावी खरीदारों के धोखा खाने की संभावना है। यहाँ वादी के व्यापार का रुख मुड़कर प्रतिवादीगण की ओर होने की प्रबल संभावना है (diversion of trade)। यह एक ऐसी क्षति है जिसके विरुद्ध 'किसी दूसरे का रूप देना' की कार्रवाई में व्यादेश (Injunction) जारी की जाती है। वादी उचित रूप से यह शिकायत कर सकते हैं कि उनकी साख को प्रतिवादीगण के माल के साथ एक 'हानिकारक जुड़ाव' होने के कारण नुकसान पहुँचता है। हैरोड्स लिमिटेड बनाम आर. हैरोड लिमिटेड (1924) 41 RPC 74 के मामले में, जनता को लगा था कि उस बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर (Harrods) ने अब पैसे उधार देने का काम शुरू कर दिया है। 'किसी दूसरे का रूप देना' की कार्रवाई तब बनती है जब एक व्यापारी अपने व्यवसाय को वादी के व्यवसाय के रूप में या उससे जुड़े हुए के रूप में प्रस्तुत करता है, जैसा कि इस मामले में है। एक ही व्यवसाय में लगे एक प्रतिस्पर्धी व्यापारी द्वारा यह गलत सुझाव दिया गया है कि उसका व्यवसाय दूसरे (वादी) के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। मुझे आशंका है कि इससे वादी के***

<u>व्यवसाय की प्रतिष्ठा और इस प्रकार उनकी साख को नुकसान पहुँचेगा।"</u>

XXX XXX XXX"

(जोर दिया गया)

70. वर्तमान कार्यवाही के दौरान पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्यों और परीक्षा (examination) तथा प्रति-परीक्षा (cross-examination) के समय प्रस्तुत किए गए प्रमाणों के माध्यम से, वादी ने मार्क 'IMS' में अपनी साख (goodwill) और प्रतिष्ठा को सिद्ध कर दिया है। प्रतिवादी द्वारा वादी के मार्क का उल्लंघन, किसी दूसरे का रूप देना (passing off), विरूपण (dilution) और कलंकित करना (tarnishment) भी सिद्ध हो चुका है। इसके अलावा, वादी से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद प्रतिवादी द्वारा 'IMS' मार्क का उपयोग और उनके बीच के व्यावसायिक संबंध भी सिद्ध हो चुके हैं। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य स्पष्ट रूप से वादी द्वारा विचाराधीन मार्क के निरंतर, निर्बाध और खुले तौर पर किए जा रहे लंबे समय के उपयोग को साबित करते हैं। इससे संबंधित विभिन्न दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें साक्ष्य की कार्यवाही के दौरान निम्नानुसार चिह्नित (marked), प्रदर्शित (exhibited) और विधिवत सिद्ध किया गया है: निम्नानुसार हैं:

i. वादी और प्रतिवादी के बीच दिनांक 01 अप्रैल, 2010 का व्यापारिक साझेदारी करार - प्रदर्श P-1 और प्रदर्श DW-1/1.

ii. दिनांक 01 अप्रैल, 2007 का सेवा प्रदाता करार - प्रदर्श DW-1/2.

iii. प्रतिवादी द्वारा निष्पादित एग्जिट पेपर, जिसके माध्यम से वादी के साथ व्यापारिक साझेदारी करार को 01 फरवरी, 2011 से प्रभावी रूप से समाप्त किया गया - प्रदर्श P-2.

iv. वादी द्वारा प्रतिवादी को भेजा गया दिनांक 18 मार्च, 2011 का पत्र - प्रदर्श P-3.

v. 'हिंदुस्तान' (हिंदी संस्करण) में दिनांक 02 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित प्रतिवादी के उल्लंघनकारी 'IMS' लोगो का मूल समाचार पत्र विज्ञापन - प्रदर्श P-4.

vi. 'ब्रैंड इक्विटी' (इकोनॉमिक टाइम्स) के 17 दिसंबर, 2003 के अंक की प्रति, जिसमें वर्ष 2003 के 'भारत के सबसे विश्वसनीय ब्रांडों' का सर्वेक्षण है और जिसमें वादी को दर्शाया गया है - प्रदर्श PW1/11.

vii. वादी की वेबसाइट के अंश, जहाँ वादी के उन छात्रों का विवरण है जिन्होंने विश्व के कुछ सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश प्राप्त किया है - प्रदर्श PW1/15.

viii. 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स' द्वारा वादी को जुलाई 2009 में अभिविन्यास (orientation) और शैक्षिक पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए भेजा गया पत्र - मार्क E.

ix. 'अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय' द्वारा 16 जुलाई, 2009 को वादी की 'निगम सामाजिक उत्तरदायित्व' (CSR) पहल को मंजूरी देने वाला पत्र - मार्क F.

x. 'एडवांस एज 2003-04' का मुख्य पृष्ठ, मूल 'B-स्कूल बिलबोर्ड 2006', 'MBA करियर गाइड - 2005' और 'MBA करियर गाइड - 2006' - प्रदर्श PW1/18.

xi. चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट, जिसमें वर्ष 1999-2000 से वादी के विपणन (marketing) और बिक्री के आंकड़ों का विवरण दिया गया है - मार्क G.

xii. वर्ष 1998 के पुराने समाचार पत्र, जो पिछले दस वर्षों से 'IMS' की अतुलनीय सफलता का प्रमाण देते हैं - मार्क I.

71. वादी द्वारा (मार्क के) सिद्ध पूर्व उपयोग, वादी के मार्क और प्रतिवादी के मार्क के बीच भ्रामक समानता, तथा वादी से प्राप्त लाइसेंस के आधार पर प्रतिवादी द्वारा किए गए उपयोग पर विचार करते हुए, यह निर्धारित किया जाता है कि प्रतिवादी द्वारा 'IMS' मार्क का उपयोग वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क 'IMS' के उल्लंघन, किसी दूसरे का रूप देना (passing off), विरूपण और उसे कलंकित करने की श्रेणी में आता है।

72. परिणामस्वरूप, मुद्दे संख्या ii, iii और iv का उत्तर वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध दिया जाता है।

<u>मुद्दा संख्या vi: क्या वादी, प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी व्यादेश प्राप्त करने का हकदार है?</u>

73. प्रतिवादी ने तर्क दिया है कि उसका मार्क (चिह्न) वादी के मार्क से भिन्न है। इसके अतिरिक्त, (प्रतिवादी का तर्क है कि) 'IMS' मार्क सामान्य प्रकृति का है और अन्य पक्ष भी इस मार्क का उपयोग कर रहे हैं। ये तर्क पूरी तरह से अनुचित हैं। एक बार जब प्रतिवादी ने लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करके 'IMS' मार्क में वादी के अधिकारों को स्वीकार कर लिया है, तो प्रतिवादी के लिए यह कहना शोभा नहीं देता कि 'IMS' एक सामान्य अभिव्यक्ति है; विशेषकर तब, जब प्रतिवादी ने स्वयं 'IMS Young Achievers' ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। ***(देखें: ऑटोमैटिक इलेक्ट्रिक लिमिटेड बनाम आर.के. धवन और अन्य, 1999 SCC OnLine Del 27, पैरा 16)।*** इसके अलावा, प्रतिवादी ने 01 अप्रैल, 2007 के लाइसेंस करार (प्रदर्श DW-1/2), 01 अप्रैल, 2010 के करार (प्रदर्श DW-1/1), और 01 फरवरी, 2011 के एग्जिट पेपर (प्रदर्श P-2/PW-1/2) के माध्यम से, और प्रति-परीक्षा के दौरान भी 'IMS' मार्क में वादी के अधिकार को स्वीकार किया है।

74. यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी का 'IMS' मार्क उपयोग करने का अधिकार वादी के साथ किए गए लाइसेंस करार से उत्पन्न होता है। अतः, लाइसेंस करार समाप्त होने के बाद प्रतिवादी द्वारा 'IMS' मार्क का कोई भी उपयोग अनधिकृत है। वादी ने अभिलेख पर पुख्ता सामग्री प्रस्तुत करके 'IMS' मार्क में अपने पूर्व और अनन्य (exclusive) अधिकारों को सिद्ध किया है, साथ ही

व्यापक उपयोग के कारण वादी के मार्क से जुड़ी साख और प्रतिष्ठा को भी सिद्ध किया है। यह दिखाने के लिए कि वादी का 'IMS' मार्क सामान्य है और व्यापार में आम है, प्रतिवादी ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के उन खोज परिणामों पर भरोसा कर रहा है जिनमें 'IMS' मार्क शामिल है (प्रदर्श DW-1/7)। हालाँकि, यह किसी भी तरह से यह सिद्ध नहीं करता है कि 'IMS' मार्क व्यापार में आम है, क्योंकि ऐसे चिह्नों के उपयोग की सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।"

75. इसके अलावा, प्रतिवादी ने इंटरनेट के कुछ अंशों (प्रदर्श DW-1/7) पर भरोसा किया है, जिनमें तीसरे पक्षकार 'IMS' मार्क का उपयोग कर रहे हैं। हालाँकि, इस तरह के अंश इन तीसरे पक्षकारगण द्वारा 'IMS' मार्क के उपयोग की प्रकृति और सीमा के बारे में अनिर्णायक (inconclusive) हैं। न तो इन अंशों में कोई तारीख है, और न ही वे इन पक्षकारगण द्वारा उपयोग की किसी अवधि को दर्शाते हैं।

76. समान तत्व वाले चिह्नों के उपयोग के संबंध में किसी भी साक्ष्य के अभाव में, यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि 'IMS' मार्क व्यापार में आम है। इस प्रकार, ***कॉर्न प्रोडक्ट्स रिफाइनिंग कंपनी (पूर्वोक्त)*** के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

"xxx xxx xxx

16. "समान तत्व या तत्वों वाले चिह्नों (marks) की श्रृंखला केवल तब ही आवेदक की सहायता करती है जब वे चिह्न बाजार में व्यापक रूप से उपयोग में हों। ऐसे उपयोग को सिद्ध करने का उत्तरदायित्व (onus) निश्चित रूप से उस आवेदक पर होता है जो उन चिह्नों पर भरोसा करना चाहता है। अब वर्तमान मामले में, आवेदक (जो हमारे समक्ष प्रत्यर्थी है) ने समान तत्व वाले चिह्नों के उपयोग के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। *हुआ यह था कि उप-पंजीयक (Deputy Registrar) ने अपने रजिस्टर में देखा और वहाँ बड़ी संख्या में ऐसे चिह्न पाए जिनमें या तो 'Gluco' या 'Vita' उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में लगा था।* ***अब निश्चित रूप से, रजिस्टर में किसी चिह्न की उपस्थिति मात्र उसके उपयोग को बिल्कुल भी सिद्ध नहीं करती है। यह संभव है कि चिह्न पंजीकृत तो किया गया हो लेकिन उसका उपयोग न किया गया हो। रजिस्टर पर चिह्नों की उपस्थिति से उनके उपयोग के बारे में कोई भी निष्कर्ष निकालना स्वीकार्य नहीं है।*** *यदि इस प्रश्न पर किसी प्राधिकारी के संदर्भ की आवश्यकता है, तो 'कर्ली' (Kerly) पृष्ठ 507 और 'विल्सडन वार्निश कंपनी लिमिटेड बनाम यंग एंड मार्टन लिमिटेड' [39 RPC 285 पृष्ठ 289] का उल्लेख किया जा सकता है। यह भी प्रतीत होता है कि स्वयं अपीलार्थी ने अपनी ओर से उपयोग किए गए एक हलफनामे में कहा था कि बाजार में ऐसे बिस्कुट उपलब्ध थे जिन पर 'Glucose Biscuits', 'Gluco biscuits' और 'Glucoa Lactine biscuits' जैसे चिह्न अंकित थे। परंतु ये चिह्न वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी की सहायता नहीं करते हैं। वे साधारण शब्दकोश (dictionary) के शब्द हैं जिन पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। वे वास्तव में समान तत्व या तत्वों वाले चिह्न नहीं हैं। इसलिए, हमारा मानना है कि विद्वान अपीलीय न्यायाधीशों ने 'Gluco' या 'Vita' उपसर्ग या प्रत्यय वाली चिह्नों की श्रृंखला के आधार पर प्रत्यर्थी के पक्ष में निर्णय देकर त्रुटि की है।"*

xxx xxx xxx"

(जोर दिया गया)

77. इसी प्रकार, ***पंकज गोयल (पूर्वोक्त)*** के मामले में, इस न्यायालय की खंडपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि 'सामान्य उपयोग' के तर्क को साबित

करने के लिए, अन्य व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे उपयोग को 'पर्याप्त' दिखाया जाना चाहिए। इस प्रकार, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

> *"xxx xxx xxx*
>
> 21. ***जहाँ तक अपीलार्थी के इस तर्क का प्रश्न है कि 'MOLA' शब्द व्यापार में आम है और बाजार में 'MOLA' के कई विकल्प उपलब्ध हैं, हमारा यह मानना है कि अपीलार्थी प्रथम दृष्ट्या (prima facie) यह सिद्ध करने में असमर्थ रहा है कि उक्त 'उल्लंघनकर्ताओं' का व्यापारिक कारोबार (turnover) महत्वपूर्ण था या वे वादी की विशिष्टता (distinctiveness) के लिए कोई खतरा पैदा कर रहे थे। वास्तव में, हमारा यह विचार है कि प्रत्यर्थी/वादी से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह उन सभी छोटे स्तर के उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा चलाए, जो प्रत्यर्थी/वादी के व्यवसाय को प्रभावित नहीं कर रहे हों।*** *नेशनल बेल बनाम मेटल गुड्स, (1970) 3 SCC 665 : AIR 1971 SC 898 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है* ***कि एक ट्रेडमार्क के स्वामी के लिए उन उल्लंघनों के विरुद्ध कार्रवाई करना आवश्यक नहीं है, जो उसकी विशिष्टता को कोई हानि (prejudice) नहीं पहुँचाते हैं।*** *एक्सप्रेस बॉटलर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम पेप्सी इंक, (1989) 7 PTC 14 के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–"*
>
> ***.....'सामान्य उपयोग' (common use) के तर्क को साबित करने के लिए, अन्य व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे उपयोग को 'पर्याप्त' (substantial) दिखाया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, कथित उल्लंघनकर्ताओं द्वारा किए गए व्यापार के विस्तार या व्यापार में उनकी संबंधित स्थिति के संबंध में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। यदि मार्क के स्वामी से अपने मार्क को बचाने के लिए हर एक महत्वहीन उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाए, तो उसका व्यवसाय ठप हो जाएगा। क्योंकि***

<u>ऐसे अवसर हो सकते हैं जब दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति, स्वामी को केवल परेशान करने के लिए उसके मार्क का उपयोग 'पिनप्रिक्स' (छिटपुट परेशानियाँ पैदा करना) के रूप में कर सकते हैं.... मार्क का केवल उपयोग किया जाना अप्रासंगिक है, क्योंकि एक पंजीकृत स्वामी से उन उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध मुकदमे या कार्यवाही करने की अपेक्षा नहीं की जाती जो किसी परिणाम के नहीं हैं (अर्थात जिनका कोई प्रभाव नहीं है)..... उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने में केवल देरी यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि पंजीकृत स्वामी ने जानबूझकर अपना मार्क खो दिया है, जब तक कि यह सकारात्मक रूप से सिद्ध न हो जाए कि देरी पंजीकृत मार्क पर अधिकार के जानबूझकर परित्याग (intentional abandonment) के कारण थी। यह न्यायालय इस बिंदु पर प्रत्यर्थी संख्या 1 की दलीलों को स्वीकार करने की ओर प्रवृत्त है.... प्रत्यर्थी संख्या 1 ने महत्वहीन उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही न करके अपना मार्क नहीं खोया है....."</u>

xxx xxx xxx"

(जोर दिया गया)

78. प्रतिवादी द्वारा आक्षेपित मार्क को अपनाना और उसका उपयोग करना, शुरुआत से ही दोषपूर्ण है। स्वीकार्य रूप से, सेवाओं की प्रकृति और उपभोक्ताओं का वर्ग जिन्हें दोनों पक्ष लक्षित करते हैं, वह भी समान है, जिससे भ्रम की संभावना उत्पन्न होना निश्चित है। अतः, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी वादी की प्रतिष्ठा और साख का अनुचित लाभ उठाना चाहता है। साथ ही, प्रतिवादी वादी के ट्रेडमार्क के साथ एक 'हानिकारक जुड़ाव' पैदा कर रहा है। ट्रेडमार्क कानून में, यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि अक्षरों वाले संक्षिप्त मार्क भी सुरक्षा के

हकदार हैं, बशर्ते उनकी संरचना मनमानी हो और वे विशिष्ट रूप से किसी एक ही स्रोत से जुड़े हों।

79. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य यह स्पष्ट करते हैं कि वादी का मार्क 'IMS' पिछले चार दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया है। पिछले वर्षों में वादी के कई छात्रों ने भारत में आयोजित होने वाली सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। वादी को कई सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा गया है और शिक्षा क्षेत्र में कई बार उच्च स्थान (रैंकिंग) दिया गया है।

80. वर्ष 1977 से 'IMS' मार्क के निरंतर उपयोग, व्यापक बिक्री, करोड़ों रुपयों के विपणन व्यय और प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च सफलता दर के कारण, 'IMS' मार्क ने पूरे भारत में उच्च प्रतिष्ठा और साख अर्जित की है। उपरोक्त के अतिरिक्त, वादी के उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और सेवाओं के साथ जुड़ाव के कारण, 'IMS' ट्रेडमार्क ने संबंधित सार्वजनिक वर्ग, इस मामले में छात्रों के बीच, एक 'द्वितीयक अर्थ' और महत्व प्राप्त कर लिया है।"

81. तदनुसार, उपर्युक्त विस्तृत चर्चा को देखते हुए, मुद्दा संख्या vi वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

<u>मुद्दा संख्या vii - क्या वादी लाभों के विवरण (rendition of accounts of profits) का हकदार है?</u>

82. वादी ने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया है। इसलिए, मुद्दा संख्या vii को 'दबाव न डाले गए' के रूप में तय किया जाता है।

<u>मुद्दा संख्या v - क्या प्रतिवादी अध्ययन और पाठ्यक्रम सामग्री में वादी के कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहा है?</u>

<u>मुद्दा संख्या viii - क्या वादी आक्षेपित सामग्री को सुपुर्दगी (delivery up) करने का हकदार है?</u>

83. इस न्यायालय ने एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया था, जिसने 28 सितंबर, 2011 को अपना कार्य (कमीशन) संपन्न किया। अपनी रिपोर्ट में, स्थानीय आयुक्त ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी के परिसर में 'IMS' मार्क के साथ-साथ एक किताबों की अलमारी (बुकशेल्फ़) भी मौजूद थी, जिसमें 'IMS' मार्क वाली कई पाठ्यक्रम सामग्रियाँ, संदर्भ पुस्तकें और दस्तावेज़ खुले तौर पर प्रदर्शित किए गए थे।

84. यद्यपि 10 फरवरी, 2017 को हुई अपनी प्रति-परीक्षा (cross-examination) के दौरान, वादी के गवाह (PW1) ने यह स्वीकार किया कि एग्जिट पेपर (Exit Paper - PW1/2) में प्रतिवादी द्वारा अध्ययन सामग्री (study material) वापस करने के संबंध में कोई शर्त नहीं थी, फिर भी इस न्यायालय का यह मत है कि एक बार जब प्रतिवादी के विरुद्ध (ट्रेडमार्क के) उल्लंघन और 'किसी दूसरे का रूप देना' (passing off) का मामला साबित हो

जाता है, तो प्रतिवादी के पास वादी की अध्ययन सामग्री को अपने पास रखने का कोई वाद -हेतुक शेष नहीं रह जाता है।"

85. उक्त लाइसेंस करार की समाप्ति के बाद, प्रतिवादी न तो वादी के मार्क (चिह्न) का उपयोग करने का हकदार था और न ही उसकी अध्ययन सामग्री का।

86. तदनुसार, मुद्दा संख्या viii का निर्णय वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध किया जाता है।

87. हालाँकि, यह साबित नहीं हो पाया है कि लाइसेंस की समाप्ति के बाद प्रतिवादी अपने केंद्र में शिक्षा प्रदान करने के लिए वादी की पाठ्यक्रम सामग्री का उपयोग कर रहा था।

88. तदनुसार, मुद्दा संख्या v का निर्णय वादी के विरुद्ध और प्रतिवादी के पक्ष में किया जाता है।"

<u>मुद्दा संख्या ix: क्या वादी क्षतिपूर्ति का हकदार है?</u>

89. यह सिद्ध हो चुका है कि प्रतिवादी ने वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क, अर्थात 'IMS' का उल्लंघन किया है। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिवादी वादी का लाइसेंसी था और उसे वर्ष 2007 से 2010 तक वादी के साथ किए गए लाइसेंस के नियमों के तहत वादी के 'IMS' मार्क का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी।

90. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिवादी वर्ष 1993 से ही वादी और उसके ट्रेडमार्क से अवगत था। प्रतिवादी ने मेरठ में अपना व्यवसाय वर्ष 1998 में 'Young Achievers' के नाम से शुरू किया था और 'IMS' मार्क का उपयोग केवल वादी के लाइसेंस के तहत ही शुरू किया था।"

91. यह संज्ञान में लिया गया है कि पूरी कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी का आचरण बेईमानीपूर्ण और कष्टप्रद रहा है। प्रतिवादी वादी के मार्क (चिह्न) का उल्लंघन करने का दोषी है और उसने लाइसेंस करार की समाप्ति के बाद भी वादी के मार्क का उपयोग जारी रखा है। प्रतिवादी ने इस न्यायालय द्वारा 19 सितंबर, 2011 को अंतरिम आदेश पारित किए जाने के बाद भी अपनी उल्लंघनकारी गतिविधियों को जारी रखा।"

92. "27 अप्रैल, 2011 के ईमेल (प्रदर्श PW-1/29) में, जो प्रतिवादी द्वारा वादी के सभी व्यापारिक भागीदारों (business partners) को लिखा गया था, प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह 'IMS' को अपने मार्क के रूप में उपयोग कर रहा है, जबकि साथ ही उसने यह भी स्वीकार किया है कि 'IMS' वादी का एक ब्रांड है। प्रतिवादी ने उक्त पत्र में फीस को ₹21,000/- से घटाकर ₹15,000/- करने की बात स्वीकार की है, और यह भी माना है कि पिछले दो महीनों में उसके पास 150 नामांकन (enrolments) हुए थे। वादी ने यह दलील दी है कि फीस घटाकर ₹15,000/- करने से प्रतिवादी ने कम से कम ₹22,50,000/- का लाभ कमाया है, जिससे वादी को कुल ₹31,50,000/-

की आर्थिक हानि हुई है (यदि इसकी गणना ₹21,000/- की दर से नामांकित 150 छात्रों के आधार पर की जाए)।"

93. जैसा कि वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, प्रतिवादी के अपने स्वयं के अनुसार, उसने दो महीनों में, यानी 01 फरवरी, 2011 से 27 अप्रैल, 2011 तक 150 छात्रों का नामांकन किया था। वादी के अनुसार, यह अनुमान लगाना उचित है कि प्रतिवादी ने 27 अप्रैल, 2011 से जुलाई, 2012 (अर्थात अवमानना आवेदन की तिथि) तक हर महीने कम से कम 10-20 छात्रों का नामांकन जारी रखा। वादी के अनुमान के अनुसार, प्रतिवादी ने ₹15,000/- प्रति छात्र की दर से लगभग 160-320 और छात्रों का नामांकन किया। इस प्रकार, वादी द्वारा प्रस्तुत मामले के अनुसार, प्रतिवादी ने लगभग ₹24 लाख से ₹48 लाख तक का लाभ कमाया।

94. प्रतिवादी द्वारा अर्जित राजस्व और वादी को हुई हानि को दर्शाने वाली गणना-तालिका, जैसा कि वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है, निम्नलिखित है:

> *"xxx xxx xxx*
>
> *84. अतः, उपरोक्त गणना के आधार पर, प्रतिवादी द्वारा अर्जित अनुमानित राजस्व कम से कम 46,50,000/- रुपये से 70,50,000/- रुपये है, जो कि नीचे दी गई गणना पर आधारित है:*

	प्रतिवादी द्वारा अर्जित राशि

2 महीनों (फरवरी-अप्रैल 2011) में 150 नामांकन, @ 15,000/- रुपये प्रति छात्र	*रु. 22,50,000*
मई 2011 - जुलाई 2012 के दौरान 160-320 नामांकन @ 15,000/- रुपये प्रति छात्र	*रु. 24,00,000 से रु. 48,00,000/-*
फरवरी 2011 से जुलाई 2012 तक का कुल	*रु.* ***46,50,000/- से 70,50,000/-***

85. इसी प्रकार, IMS ट्रेडमार्क के उल्लंघनकारी उपयोग तथा फीस को 21,000/- रुपये से घटाकर 15,000/- रुपये किए जाने के कारण वादी को हुई हानि की गणना निम्नानुसार की गई है:

	वादी को हुआ नुकसान
2 महीनों (फरवरी-अप्रैल 2011) में 150 नामांकन, @ 21,000/- रुपये प्रति छात्र	₹ 31,50,000
मई 2011 से जुलाई 2012 तक 160-320 नामांकन @ 21,000/- रुपये प्रति छात्र	₹33,60,000/- से ₹67,20,000/-
फरवरी 2011 से जुलाई 2012 तक का कुल	**₹65,10,000/- से ₹98,70,000/-**

xxx xxx xxx"

95. यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी की प्रतिपरीक्षा (cross-examination) के दौरान, नामांकित छात्रों की संख्या के संबंध में प्रतिवादी का उत्तर टालमटोल वाला (evasive) था। इसके अलावा, प्रतिवादी ने गवाही दी है

कि उसने वर्ष 1998 में दो छात्रों के साथ शुरुआत की थी, और 2007 तक, उसने लगभग 500 से 1000 छात्रों को पढ़ाया होगा। 01 फरवरी, 2023 के DW-1 की प्रतिपरीक्षा का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत है:

> *"xxx xxx xxx*
>
> ***प्रश्न: क्या आप "impugned" (आक्षेपित) शब्द का अर्थ जानते हैं?***
>
> ***उत्तर: आक्षेपित (Impugned) का अर्थ है कि कुछ संदिग्ध या प्रश्नास्पद है।***
>
> ***प्रश्न: आप अभी वर्तमान में कितने छात्रों का नामांकन कर रहे हैं?***
>
> ***उत्तर: मैं यह नहीं बताना चाहता क्योंकि ये आंकड़े गोपनीय हैं।***
>
> ***प्रश्न: आपने वर्ष 1998 से 2007 तक कितने छात्रों का नामांकन किया है?***
>
> ***उत्तर: मैंने वर्ष 1998 में दो छात्रों के साथ शुरुआत की थी और 2007 तक मैंने लगभग 500 से 1000 छात्रों को पढ़ाया होगा।***
>
> ***प्रश्न: आपने वर्ष 2007 से 2011 तक कितने छात्रों का नामांकन किया है?***
>
> ***उत्तर: मैं यह डेटा उपलब्ध नहीं करा सकता क्योंकि इस अवधि का डेटा वादी के पास पहले से ही उपलब्ध है।***
>
> ***प्रश्न: आपने वर्ष 2011 से 2013 तक कितने छात्रों का नामांकन किया है?***
>
> ***उत्तर: मेरे पास सटीक संख्या नहीं है। केंद्र के अचानक बंद होने के कारण संख्या बहुत कम थी।***

प्रश्न: *मैं आपके सामने यह बात रखता हूँ कि आप जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से, लाइसेंस करार की अवधि के दौरान और लाइसेंस करार की समाप्ति के बाद नामांकित छात्रों की संख्या का खुलासा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने वादी के ट्रेडमार्क 'IMS' की साख (goodwill) और प्रतिष्ठा का अनुचित लाभ उठाकर महत्वपूर्ण लाभ कमाया है?*

उत्तर: *यह गलत है।*

96. इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या प्रतिवादी ने कोई लेखा-बही (books of accounts) और नामांकित छात्रों की फ़ीस रसीदें (fee receipts) रखी थीं, प्रतिवादी का उत्तर 'नहीं' में था। DW-1 की दिनांक 06 अप्रैल, 2023 की प्रति-परीक्षा के अंश नीचे दिए गए हैं:

"xxx xxx xxx

<u>प्रश्न: क्या आप लेखा पुस्तकों का अभिलेख रखते हैं?</u>

<u>उत्तर: नहीं, मैं कोई लेखा पुस्तकों का अभिलेख नहीं रखता।</u>

<u>प्रश्न: आप अपने खातों का प्रबंधन कैसे करते हैं?</u>

<u>उत्तर: यह राजस्व और खर्चों की एक साधारण गणना है जिसे मेरी आयकर रिटर्न से देखा जा सकता है।</u>

<u>प्रश्न: क्या आप नामांकित छात्रों की फ़ीस रसीदें रखते हैं?</u>

<u>उत्तर: नहीं, मैं कोई फ़ीस रसीदें नहीं रखता क्योंकि हम एक बहुत छोटा उद्यम हैं।</u>

<u>प्रश्न: क्या आप नामांकित छात्रों का अभिलेख रखते हैं?</u>

<u>उत्तर: नहीं, हम कोई अभिलेख नहीं रखते।</u>

<u>प्रश्न: मैं आपसे कहता हूँ कि यह गलत है कि फ़ीस रसीदें और छात्रों का अभिलेख नहीं रखा जाता?</u>

<u>उत्तर: वर्तमान संदर्भ में यह गलत है। (टिप्पणी: पहले हम रखते थे)।</u>

<u>प्रश्न: यदि आप रसीदें जारी नहीं करते या कोई अभिलेख नहीं रखते तो आप छात्रों का नामांकन कैसे करते हैं?</u>

<u>उत्तर: मौखिक सहमति होती है और लोग हम पर विश्वास करते हैं।</u>

प्रश्न: *क्या आपका नामांकन फॉर्म है?*

उत्तर: *वर्तमान में हमारा कोई नामांकन फॉर्म नहीं है। पहले हमारे पास होता था।*

प्रश्न: *मैं आपसे कहता हूँ कि यह कथन कि कोई अभिलेख या नामांकन फॉर्म नहीं रखा जाता, गलत है?*

उत्तर: *वर्तमान संदर्भ में यह गलत है। (टिप्पणी: पहले हम रखते थे)।*

<u>प्रश्न: क्या आप अपने छात्रों से फ़ीस लेते हैं?</u>

<u>उत्तर: हाँ।</u>

<u>प्रश्न: आप कितनी फ़ीस लेते हैं?</u>

<u>उत्तर: अलग-अलग पाठ्यक्रमों के लिए फ़ीस अलग होता है और यह गोपनीय है।</u>

xxx xxx xxx"

(जोर दिया गया)

97. अतः, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने नामांकित छात्रों की संख्या तथा अपने द्वारा ली जा रही फीस से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में स्पष्टवादिता नहीं दिखाई है।

98. इस न्यायालय ने ***'कोनिनलिज्के फिलिप्स एन.वी. और अन्य बनाम अमेज़स्टोर और अन्य, 2019 SCC OnLine Del 8198'*** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक सिविल वाद में प्रतिवादी द्वारा किए गए कदाचार की मात्रा अक्सर उस राहत की प्रकृति निर्धारित करती है, जो न्यायालय द्वारा वादी को दी जानी चाहिए। दुर्भावनापूर्ण आचरण (malafide conduct) की मात्रा का उन हर्जानों की राशि और प्रकृति पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जो दिए जा सकते हैं। अतः, यह इस प्रकार निर्धारित किया गया है:

"xxx xxx xxx

30. <u>न्यायालय का यह मत है कि सिविल वाद में प्रतिवादीगण द्वारा किए गए कदाचार की मात्रा अक्सर उस राहत की प्रकृति निर्धारित करती है, जो न्यायालय द्वारा वादीगण को दी जानी चाहिए। यह कानून सुस्थापित है कि दुर्भावनापूर्ण आचरण की मात्रा का उन हर्जानों की राशि और प्रकृति पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जो वास्तविक या प्रतिपूरक हर्जानों के दावे के अतिरिक्त दिए जा सकते हैं।</u>

xxx xxx xxx"

(जोर दिया गया)

99. अतः, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करते हुए, मुद्दा संख्या 'ix' का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है। वादी को हर्जाने का हकदार माना जाता है। वादी को वाद की लागत (जुर्माने) का भी हकदार माना जाता है। वर्तमान वाद वर्ष 2011 से लंबित है और वादी को पिछले कई वर्षों से इस वाद को जारी रखने में भारी खर्च वहन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तदनुसार, यह न्यायालय प्रतिवादी द्वारा वादी को देय खर्च और हर्जाने के रूप में ₹30 लाख (तीस लाख रुपये) की राशि प्रदान किए जाने का अधिनिर्णय देता है। प्रतिवादी द्वारा उक्त राशि का भुगतान निर्णय की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।

<u>मुद्दा संख्या x: राहत</u>

100. अतः, उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी व्यादेश का डिक्री पारित किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रतिवादी, उसके साझेदार या स्वामी, अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट(अभिकर्ता), उनके व्यापारिक उत्तराधिकारी, डीलर तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों को वादी के व्यापार चिन्ह 'IMS' से समान या भ्रामक रूप से मिलते-जुलते किसी भी चिन्ह, नाम, लोगो, मोनोग्राम या लेबल का उपयोग करने से रोका जाता है।

101. डिक्री शीट तैयार की जाए।

102. वर्तमान वाद का लंबित आवेदनों के साथ, तदनुसार निपटान किया जाता है।

(मिनी पुष्कर्णा)
न्यायाधीश

20 जनवरी, 2025
केआर/सी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*